राजस्थान सरकार

ब्यावर मास्टर प्लान

2011—2031

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत तैयार किया गया

राजस्थान आवास विकास एवं
इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0, जयपुर

बी. ई. कंसलटेन्टस,
जयपुर

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान जयपुर

आभार

ब्यावर के सुनियोजित विकास को गति प्रदान करने के क्रम में ब्यावर के विशिष्ट जन प्रतिनिधियों, प्रबुद्ध व गणमान्य नागरिकों तथा नगरीय विकास को क्रियान्वित करने में सहयोग देने वाले सभी व्यक्तियों एवं संस्थाओं को अपना आभार प्रकट करता हूँ जिन्होने अपना अमूल्य समय इस नगर के सुनियोजित विकास हेतु योजना बनाने में प्रदान किया।

मैं, आयुक्त नगरपरिषद् ब्यावर एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारियों का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होने मास्टर प्लान को तैयार करने में समय – समय पर निरंतर सहयोग प्रदान किया।

मास्टर प्लान को तैयार करने में विभिन्न स्तरों पर हुए सभी सर्वेक्षणों तथा अन्य सूचनाओं को एकत्र करने की आवश्यकता होती है। इस विशेष कार्य में विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों यथा सार्वजनिक निर्माण विभाग, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, उद्योग, चिकित्सा, जल प्रदाय, शिक्षा, वन, राजस्व इत्यादि विभागों तथा अन्य निजी संस्थाओं ने सत्त सहयोग प्रदान किया है। मैं उन सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

राज्य सरकार के सलाहकार मैसर्स राजस्थान आवास विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड तथा उनके सहयोगी मैसर्स बी. ई. कन्सलटेन्टस, जयपुर को भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिनके सहयोग से मास्टर प्लान को तैयार किया जा सका।

अंत में सभी नागरिकों से आशा करता हूँ कि भविष्य में भी इस नगर को मास्टर प्लान प्रस्तावों के अनुरूप सुनियोजित ढ़ंग से विकसित करने में अपना सहयोग देते रहेंगे ।

(प्रदीप कपूर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व),
राजस्थान, जयपुर

योजना दल

1. श्री प्रदीप कपूर	–	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
2. श्री प्रवीण जैन	–	अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर। अप्रेल 2012 तक
3. श्री अरूण चतुर्वेदी	–	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर। जुलाई 2012 तक
4. श्री दिलीप सिंह बारेठ	–	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर। मई 2012 तक
5. श्री एस.जी चितौड़िया	–	उप नगर नियोजक/वरिष्ठ नगर नियोजक अजमेर जोन,अजमेर।
6. श्री अनिल पथरिया	–	वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
7 श्री पवन पाल डागा	–	जिला नगर नियोजक, भीलवाड़ा।
8 श्री अंकुर देवत	–	सहायक नगर नियोजक, अजमेर।
9. श्री मुकुल मीणा	–	कनिष्ठ अभियंता, अजमेर जोन, अजमेर।
10. श्री रूपाराम	–	वरिष्ठ प्रारूपकार, अजमेर जोन, अजमेर।
11. श्री एम. सी. डिडवानिया	–	निजी सहायक, अजमेर जोन, अजमेर।
12. श्री राजेश वर्मा	–	सहायक लिपिक, अजमेर जोन, अजमेर।

सलाहकार

राजस्थान आवास विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	–	4 –स, 24 जवाहर नगर, जयपुर।
श्री वी.के. दाधिच	–	प्रबंधक निदेशक/चीफ जनरल मैनेजर, जयपुर।
मैसर्स – बी. ई. कंसलटेन्टस,	–	आर्किटेक्टस, प्लानर्स, इंजिनियर्स, A-237 मालवीया नगर, जयपुर।
श्री पी. एन. भार्गव	–	आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर।
श्री एस. के. माथुर	–	सांख्यकिविद् एवं इकोनोमिस्ट। वरिष्ठ नगर नियोजक (सेवानिवृत)
श्री नवरतन शर्मा	–	कम्प्यूटर एक्जीक्यूटिव।
श्री अमित शर्मा	–	कम्प्यूटर एक्जीक्यूटिव।

विषय – सूची

क्र.सं.	विषय–वस्तु	पृष्ठ संख्या
	आभार	(i)
	योजना दल	(ii)
	विषय–सूची	(iv)
	तालिका–सूची	(viii)
1.	**परिचय**	**1**
2.	**विद्यमान विशेषताएँ**	**4**
2.1	भौतिक स्वरूप एवं जलवायु	4
2.2	क्षेत्रीय परिदृश्य	6
2.3	ऐतिहासिक	6
2.4	जनांकिकी	8
2.5	व्यावसायिक संरचना	9
2.6	विद्यमान भू–उपयोग	10
2.6.(1)	आवासीय	11
2.6.(1) अ.	कच्ची बस्तियाँ	14
2.6.(2)	वाणिज्यिक	14
2.6.(3)	औद्योगिक	15
2.6.(4)	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	15
2.6.(5)	आमोद–प्रमोद	17
2.6.(6)	सार्वजनिक एवं अर्द्ध – सार्वजनिक सुविधायें	18
2.6.(6) अ.	शैक्षणिक	18
2.6.(6) ब.	चिकित्सा	23
2.6.(6) स.	सामाजिक / सांस्कृतिक / धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल	25
2.6.(6) द.	अन्य सामुदायिक सुविधायें	26
2.6.(6)य –	जनोपयोगी सुविधायें	28
2.6.(6) य.(i)	जलापूर्ति	28

2.6.(6) य.(ii)		जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण एंव प्रबंधन	29
2.6.(6) य.(iii)		विद्युत आपूर्ति	29
2.7		परिसंचरण	30
2.7.(अ)		बस टर्मिनल एवं ट्रक बस टर्मिनल	30
2.7.(ब)		रेल सेवा	31
3.		**नियोजन की संकल्पना**	**32**
3.1		नियोजन की नीतियाँ	33
3.2		नियोजन के सिद्धान्त	33
4.		**भावी योजना का आकार**	**37**
4.1		जनांकिकी	37
4.2		व्यावसायिक संरचना	38
4.3		नगरीय क्षेत्र	40
4.4		नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	40
4.5		प्रस्तावित योजना क्षेत्र	41
	अ.	नया नगर योजना क्षेत्र	42
	ब.	बान्दनवाडा रोड़ योजना क्षेत्र	42
	स.	महालक्ष्मी मिल योजना क्षेत्र	42
	द.	एस.डी.कॉलेज योजना क्षेत्र	43
	य.	हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र	43
	र.	परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र	44
5.		**भू – उपयोग योजना**	**45**
5.1		आवासीय	47
5.2		वाणिज्यिक	48
5.2.(1)		विद्यमान शहरी केन्द्र एवं वाणिज्यिक गतिविधियां	49
5.2.(2)		प्रस्तावित व्यावसायिक केन्द्र एवं गतिविधियां	49
5.2.(3)		थोक व्यापार	50
5.2.(4)		गोदाम एवं भण्डारण	50

5.3	औद्योगिक	50
5.4	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	51
5.5	आमोद–प्रमोद	52
5.5.(1)	उद्यान, स्टेडियम एवं मेला स्थल	53
5.6	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें	53
5.6.(1)	शैक्षणिक सुविधायें	54
5.6.(2)	चिकित्सा सुविधायें	55
5.6.(3)	अन्य सामुदायिक सुविधायें	55
5.6.(4)	जनोपयोगी सुविधायें	56
5.6.(4) अ.	जलापूर्ति	56
5.6.(4) ब.	जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण एंव प्रबंधन	56
5.6.(4) स.	विद्युत आपूर्ति	57
5.6.(5)	श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान	57
5.7	परिसंचरण	58
5.7.(1)	प्रस्तावित यातायात संरचना	58
5.7. (1) अ	बाह्य रिंग रोड़ (Outer Ring Road)	60
5.7. (1) ब	आन्तरिक मुद्रिका सड़क (Inner Road)	60
5.7. (1) स	आन्तरिक सड़के	60
5.7.(2)	आंतरिक सड़कें व मार्गाधिकार	61
5.7.(3)	सड़कों को चौड़ा करना/सुधार करना एवं पार्किंग सुविधायें	61
5.7.(4)	बस स्टेण्ड़	62

5.7.(5)	ट्रांसपोर्ट नगर /ट्रक टर्मिनस	62
5.7.(6)	रेलवे सेवा	62
5.8	हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र	63
5.9	परिधि नियंत्रण क्षेत्र	64
5.10	पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण	64
6.	**मास्टर प्लान का क्रियान्वयन**	**66**
6.1	प्रस्तावित आधार	66
6.2	जन सहभागिता एवं जन सहयोग	67
6.3	भू – उपयोग एवं भूमि अवाप्ति	67
6.4	उपसंहार	68
परिशिष्ट		**69**
1 (अ)	राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के उद्धरण	69
1 (ब)	राजस्थान नगर सुधार न्यास (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण	72
2	राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 06.07.2011	75
3	राजस्थान सरकार की संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.08.2011	77
4	नगर सुधार अधिनियम, 1959, की धारा 5(1) की अधिसूचना दिनांक 21.12.2012	78
5	राजस्थान सरकार, नगरीय विकास विभाग अधिसूचना दिनांक 04.10.2013	80

तालिका – सूची

तालिका सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका – 1	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति, ब्यावर – 1901–2011	9
तालिका – 2	व्यावसायिक संरचना, ब्यावर – 1991–2001–2011	10
तालिका – 3	विद्यमान भू–उपयोग, ब्यावर – 2011	11
तालिका – 4	वार्डवाईज जनसंख्या, ब्यावर – 2001	12
तालिका – 5	राजकीय एंव अर्द्धराजकीय कार्यालय ब्यावर – 2011	16
तालिका – 6	महाविद्यालय – ब्यावर–2011	18
तालिका – 7	तकनीकी शिक्षा – ब्यावर–2011	19
तालिका – 8	नर्सिग कॉलेज – ब्यावर–2011	19
तालिका – 9	उच्च माध्यमिक विद्यालय–ब्यावर–2011	20
तालिका – 10	माध्यमिक विद्यालय–ब्यावर–2011	21
तालिका – 11	उच्च प्राथमिक विद्यालय–ब्यावर – 2011	22
तालिका – 12	चिकित्सा सुविधायें–ब्यावर – 2011	24
तालिका – 13	विवाह स्थल – ब्यावर – 2011	27
तालिका – 14	जलापूर्ति – ब्यावर – 2011	28
तालिका – 15	विद्युत आपूर्ति – ब्यावर – 2011	30
तालिका – 16	जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान – ब्यावर – 2001 – 2031	38
तालिका – 17	वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना– ब्यावर – 2001 – 2031	39
तालिका – 18	प्रस्तावित योजना क्षेत्र – ब्यावर – 2031	41
तालिका – 19	प्रस्तावित भू–उपयोग – ब्यावर–2031	45

तालिका – 20	प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियाँ – ब्यावर – 2031	49
तालिका – 21	औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण – ब्यावर – 2031	51
तालिका – 22	राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण– ब्यावर – 2031	52
तालिका – 23	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, ब्यावर–2031	54
तालिका – 24	प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधायें – ब्यावर – 2031	55
तालिका – 25	परिसंचरण – ब्यावर – 2031	59
तालिका – 26	सड़कों का मार्गाधिकार – ब्यावर – 2031	61

1
परिचय

ब्यावर, अजमेर जिले का एक प्रमुख शहर है। यह अजमेर से 52 किमी तथा राज्य की राजधानी जयपुर से 185 किमी दक्षिण–पश्चिम में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (दिल्ली–मुम्बई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–14 (ब्यावर–सिरोही–आबूरोड़–पालनपुर – राघवपुर (गुजरात) पर स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति $26^{o}6'$ उत्तरी अक्षांश एवम् $74^{o}19'$ पूर्वी देशान्तर है। यह दिल्ली–मुम्बई ब्रोडगेज रेलवे लाईन का मुख्य स्टेशन है। राज्य राजमार्ग–39 (सतूर से मुडांवा) तथा राज्य राजमार्ग–59 (ब्यावर से नीमला जोधा) तथा मुख्य जिला सड़क–57 एवं 84 भी ब्यावर से गुजरते है। इसकी जनसंख्या वर्ष 2011 में 1,45,809 व्यक्ति थी। अजमेर के बाद यह जिले का तीसरा प्रथम श्रेणी का नगर है, अजमेर के बाद किशनगढ़ है जिसकी जनसंख्या वर्ष 2011 में 1,55,019 व्यक्ति है। ब्यावर शहर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में ऊँचे धरातल पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 446 मीटर (1470फीट) है। ब्यावर का बर कस्बे से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग–14 व 112 द्वारा सीधा सम्बन्ध जोधपुर एवं बाड़मेर से है। इस प्रकार यह रेल व सड़क मार्ग द्वारा देश के सभी बड़े शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। वर्ष 1901 में ब्यावर की जनसंख्या केवल 21,928 व्यक्ति थी तथा यह एक छोटा कस्बा था। वर्ष 1931 के पश्चात् इसकी जनसंख्या में लगातार वृद्धि हुई तथा वर्ष 1991 में इसकी जनसंख्या 1,06,721 (बाह्यय वृद्धि सहित) हो गई तथा 18.04 प्रतिशत वृद्धि दर से वर्ष 2001 में 1,25,981 व्यक्ति हो गई। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि के साथ–साथ शहर का भी विस्तार होता गया। शहर के विकास के साथ ही विभिन्न समस्यायें जैसे शहर का अनियंत्रित विकास, सड़कों पर यातायात की समस्यायें, आधारभूत सुविधाओ में कमी, आमोद–प्रमोद व अन्य मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, अनियोजित वाणिज्यिक सेवायें, जल–मल निकास एवं ठोस कचरा प्रबन्धन की समस्यायें, प्रदूषण तथा आवास से सम्बन्धित समस्यायें भी उत्पन्न हो गई। शहर के विकास को दिशा–निर्देश प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1981 में शहर का मास्टर प्लान तैयार करवाया गया था।

इस मास्टर प्लान का क्षैतिज वर्ष 2001 था जिसे बढ़ा कर सितम्बर–2012 कर दिया गया था।

यहाँ के नागरिकों को स्वस्थ जीवन यापन हेतु इस बढ़ती हुई जनसंख्या को पर्याप्त मूलभूत सुविधायें उपलब्ध करवाना आवश्यक है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये भविष्य में विकास को दिशा प्रदान करने हेतु ब्यावर शहर का वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

इस सम्बन्ध में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 3 की उप धारा (1) के अनुसरण में राज्य सरकार द्वारा दिनांक 06/07/2011 के द्वारा अधिसूचना एवं दिनाकं 8.8.2011 को संशोधित अधिसूचना प्रकाशित कर ब्यावर के नगरीय क्षेत्र, जिसमें 50 (पचास) राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुए आवश्यक सर्वेक्षण करवाकर ब्यावर का मास्टर प्लान वर्ष 2031 तक के लिये बनाने हेतु नगर नियोजन विभाग के अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) को अधिकृत किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सलाहकार मैसर्स राजस्थान आवास विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड व उनके सहयोगी सलाहकार मैसर्स बी.ई. कन्सलटेन्ट द्वारा इस क्षेत्र का भौतिक, सामाजिक व आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तथा विभिन्न विभागों/संस्थाओं एवं अन्य स्त्रोतों से आवश्यक सूचनाओं का संकलन किया गया। जनसांख्यिकी एवं अन्य आंकडे जनगणना–2011 के आधार पर संकलित किए गये हैं।

सर्वेक्षण पश्चात् विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र–2011 तैयार किया गया तथा एकत्रित किए गये आंकड़ों एवं सूचनाओं के विश्लेषण तदुपरान्त वर्ष 2031 तक की विभिन्न भौतिक, सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं का निर्धारण, प्रतिपादित नगर नियोजन सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है। उक्त विश्लेषण के आधार पर शहर में भौतिक विस्तार की दिशाओं एवं वर्ष 2031 की जनसंख्या का आंकलन कर वर्ष 2031 हेतु ब्यावर शहर हेतु मास्टर प्लान तैयार किया गया है।

वर्ष 2011 में नगर की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1,45,809 है तथा नगर का घनत्व 78 व्यक्ति प्रति हैक्टर है।

यह मास्टर प्लान न केवल शहर के भावी विकास को दिशा प्रदान करेगा, वरन् शहरी जीवन के गुणात्मक सुधार में अहम् भूमिका निभायेगा। वर्ष 2031 में जनंसख्या

बढ़कर 2,40,000 व्यक्ति हो जाने की सम्भावना है। वर्ष 2011 में 1,45,809 व्यक्तियों की जनसंख्या में लगभग 94,191 अतिरिक्त व्यक्ति वर्ष 2031 तक जनसंख्या में जुड़ जायेंगे। अतः 94,191 की अतिरिक्त जनसंख्या को सुचारू रूप से बसाने हेतु अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता पड़ेगी।

क्षितिज वर्ष 2031 के लिये 57 व्यक्ति प्रति हैक्टर के घनत्व से लगभग 4805.00 हैक्टर (48.05 वर्ग किमी.) भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। वर्तमान नगरपरिषद् क्षेत्र 25.00 वर्ग किमी. है। अतः परिषद सीमा के बाहर 23.05 वर्ग किमी. अतिरिक्त भूमि सम्मिलित की जायेगी।

इसमें से विकास योग्य क्षेत्र 4805.00 हैक्टर (48.05 वर्ग किमी.) तथा 4864.00 हैक्टर नगरीयकरण योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र 12,919 हैक्टर का 37.64 प्रतिशत है। नगरीय क्षेत्र को 6 (छः) योजना क्षेत्रों में विभाजित किया गया है।

मास्टर प्लान तैयार कर राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959, की धारा (5) की उप धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 21.12.2012 को ब्यावर मास्टर प्लान प्रारुप प्रकाशित कर 60 दिनो मे आम जनता से आपत्ति/सुझाव आमंत्रित किये। उक्त निर्धारित अवधि में कुल 289 आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन आपत्ति/सुझावों का विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण एवं स्थल निरीक्षण कर जॉच के उपरान्त 106 आपत्ति/सुझाव स्वीकृत योग्य, 16 आपत्ति/सुझाव आंशिक स्वीकृत योग्य, 101 आपत्ति/सुझाव अस्वीकृत योग्य तथा 66 आपत्ति/सुझावों में कोई कार्यवाही अपेक्षित नही होना पाया गया है।

अतः ब्यावर शहर का मास्टर प्लान राज्य सरकार के समक्ष राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 6(1) के अन्तर्गत स्वीकृती हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(प्रदीप कपूर)
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व),
राजस्थान जयपुर।

यह मास्टर प्लान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 6 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अनुमोदित कर उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण में अधिसूचना क्रमांक प.10(35)नविवि/3/2011 दिनांक 04.10.2013 के द्वारा अनुमोदित किया गया है। (परिशिष्ठ – 5)

2

विद्यमान विशेषताएं

ब्यावर नगर, राजस्थान राज्य के मध्य में अजमेर जिले का एक उप खण्ड मुख्यालय है। यह प्रथम श्रेणी का नगर है।

यह दिल्ली–मुम्बई ब्रोड गेज रेलवे लाइन पर स्थित है। ब्यावर से दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 (दिल्ली–जयपुर–अजमेर–ब्यावर–उदयपुर–अहमदाबाद–बड़ोदरा–सूरत–मुम्बई) व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–14 (ब्यावर–सिरोही–आबू रोड–पलसाना (गुजरात सीमा तक) तथा दो राज्य राजमार्ग संख्या–39 एवं 59 तथा मुख्य जिला सड़क संख्या–57 एवं 84 गुजरते है। इस प्रकार यह आसपास के क्षेत्र एवं देश के सभी प्रमुख नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। वर्तमान में यहां लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयां कार्यरत है। सीमेन्ट क्षेत्र की वृहद औद्योगिक इकाई ''श्री सीमेन्ट फैक्ट्री'' भी यहां कार्यरत है। इस क्षेत्र मे और भी इकाईयां स्थापित होने की संभावनायें है। यहाँ औद्योगिक विकास तीव्र गति से हो रहा है तथा भविष्य में इसका ओर विकास होने की संभावनायें हैं। ब्यावर एक औद्योगिक, वाणिज्यिक एवं व्यापारिक केन्द्र है।

2.1 भौतिक स्वरूप और जलवायु :

ब्यावर शहर अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य में ऊंचे धरातल पर स्थित है। माध्य समुद्र तल से इसकी ऊँचाई 447 मीटर (1470 फीट) है। इसकी भौगोलिक स्थिति $26^{o}6'$ उत्तरी अक्षांश एवं $74^{o}19'$ पूर्वी देशान्तर है। यह अजमेर के दक्षिण–पश्चिम में लगभग 52 किमी तथा जयपुर से 185 किमी की दूरी पर स्थित है।

ब्यावर की जलवायु शुष्क है। रात्रि अधिकतर ठंडी होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान 27^{o} सेन्टीग्रेड से 40^{o} सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है तथा शीत ऋतु में औसतन 8^{o} सेन्टीग्रेड से 22^{o} सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है। ग्रीष्म ऋतु में अधिकतम तापमान 45.6^{o} सेन्टीग्रेड व शीत ऋतु में न्यूनतम 5^{o} सेन्टीग्रेड दर्ज किया गया है। औसत आर्द्रता 57

STATE MAP SHOWING LOCATION OF BEAWAR TOWN
PUNJAB
HARYANA
UTTAR PRADESH
MADHYA PRADESH
GUJARAT
PAKISTAN
N
Ganganagar
Hanumangarh
Bikaner
Jodhpur
Jaisalmer
Barmer
Jaipur
Ajmer
Beawar
Udaipur
Kota
Alwar
Bharatpur
Tonk
Bhilwara
Chittorgarh
Jhalawar
Sikar
Churu
Nagaur
Pali
Sirohi
Abu Road
Jalor
Agra
Mathura
Gwalior
Ghaziabad

प्रतिशत मापी गई है। वायु प्रवाह अधिकतर पश्चिम व दक्षिण–पश्चिम दिशा की ओर रहता है। यहॉ औसत वर्षा लगभग 58 से.मी. होती है।

2..2 क्षेत्रीय परिदृश्य :

ब्यावर पूर्व मे देश का दूसरा बड़ा ऊन निर्यात केन्द्र था। यह ऊन की मंडी व सूती मिलों के लिये प्रसिद्ध रहा तथा एक समय में इसे भारत का मन्चेस्टर कहा जाता था। आज ब्यावर लघु एवं मध्यम उद्योगों का केन्द्र है। दक्षिण में सेंदड़ा, बर, निमाज, रायपुर, झूंठा और जैतारण हैं। उत्तर की तरफ खरवा व मांगलियावास है। ब्यावर के आसपास का क्षेत्र काफी खूबसूरत है जो पूनियां की एक सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला अरावली से घिरा हुआ है। यहां लघु उद्योगों में तिलपट्टी, स्वर्णकारी एवं बीड़ी उद्योग है तथा बड़े उद्योगों में ऊन मंडी, सूती मिले, सिमेन्ट फैक्ट्रियॉ आदि है।

यह आसपास के गांवों का एक मुख्य व्यापारिक केन्द्र है जहां कला व हस्तशिल्पी उद्योगों का विकास हुआ है। ब्यावर के आसपास अन्य देखने लायक स्थल सेन्दर, बर, नीलकंठ महादेव है। माताजी की डूंगरी, चग की धाणी, बलाड़ का जैन मन्दिर तथा श्योपुर घाट, मकरेडा और जालिया वाटर वर्कस यहां के प्रसिद्ध पिकनिक स्थल हैं तथा टोडागढ़ एक पुराना किला है। ढूढ़लेश्वर ब्यावर के पास ही एक खूबसूरत देखने लायक स्थल है। पीपाज माता का मन्दिर भी एक देखने लायक स्थल है जो टोडगढ़ से तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

2.3 ऐतिहासिक :

राजस्थान के एक महत्वपूर्ण स्थल पर स्थित यह शहर सन् 1836 में कर्नल एल फ्रेड डिक्सन द्वारा एक छावनी के रूप में बसाया गया था। जोधपुर, जयपुर और उदयपुर के बीच बसे इस शहर की शुरूआत एक सैनिक छावनी के रूप में हुई और कर्नल डिक्सन मारवाड़ बटालियन के मुखिया थे। आज के चंपा नगर के आसपास उन्होंने अपनी छावनी बसाई थी। वे स्वयं अजमेरी गेट के अन्दर बसे बंसी भवन में रहते थे।

शहर के परकोटे पर चार द्वार बनाये गये, अजमेरी गेट, सूरजपोल, मेवाड़ी गेट व चांग गेट। शहर के अन्दर की गलियां व रास्ते समानान्तर बने हुए है जो आपस में चौपड़ बनाते हैं।

वर्ष 1838 में शहर के चारों ओर परकोटा बनवाया गया जिसकी लम्बाई लगभग 10600 फीट थी। इस परकोटे पर चारों दरवाजे भी उसी समय बनवाये गये थे। वर्ष 1850 तक शहर का विकास परकोटे में ही सीमित रहा। वर्ष 1850 के बाद शहर का विकास परकोटे के बाहर होना शुरू हुआ, सर्वप्रथम एक प्राथमिक पाठशाला का निर्माण हुआ जिसको वर्ष 1891 में हाई स्कूल में क्रमोन्नत किया गया। व्यापारिक गतिविधियां शहर के भीतर ही संचालित होती रही। वर्ष 1879 में रेलवे लाइन के द्वारा दिल्ली व अहमदाबाद से सीधा सम्पर्क होने के बाद औद्योगिक विकास रेलवे स्टेशन के आसपास होना शुरू हो गया। तीन बड़ी टेक्सटाइल मिलों, महालक्ष्मी मिल, कृष्णा मिल तथा एडर्वड मिल की स्थापना वर्ष 1900 से 1947 के मध्य हुई। इसी काल में (1900–1947) एक सामान्य चिकित्सालय की भी स्थापना हुई। आवासीय कॉलोनियों, रेलवे स्टेशन के पास तथा मिल के आहते में ही विकसित हुई।

इस शहर का नाम यहां से लगभग 7 किलोमीटर दूर के एक गांव ब्यावर खास के नाम से पड़ा है। जब दिल्ली से अहमदाबाद की रेलवे लाइन डाली जा रही थी तब सबसे नजदीक का गांव ब्यावर खास होने के कारण रेलवे स्टेशन का नाम ब्यावर रखा गया। आज भी आसपास के गांवों में इस शहर को ''नुवा सेर'' (नया शहर) के नाम से ही जाना जाता है।

शहर के अन्दर की सड़के समानान्तर ग्रिड़ आयरन पैटर्न पर है जो इसका ऐतिहासिक गौरव दर्शाती है। शहर के अन्दर प्रमुख मोहल्ले, गोपाल जी का मोहल्ला, डिग्गी मोहल्ला, शाहपुरा मोहल्ला तथा प्रमुख बाजार पाली बाजार, ''तेजा चौक'', मेवाड़ी बाजार, लोहारो की चौपड़ हैं। अन्य आकर्षण पांच बत्ती व सुभाष उद्यान (बाग) है। पूजा का स्थल महादेव जी की छतरी है।

देश की आजादी के पश्चात, विस्थापितों के आगमन के कारण इस शहर का विकास तेजी से हुआ। आवासीय कॉलोनियां शहर के चार दिवारी के दक्षिण में बननी शुरू हो गई। मेवाड़ी दरवाजा, चांग गेट व अजमेरी दरवाजे के बाहर भी विकास होना शुरू हो गया। परन्तु वाणिज्यिक गतिविधियां शहर के अन्दर ही संचालित होती रही। शहर के बाहर शैक्षणिक एवं सार्वजनिक तथा अर्द्धसार्वजनिक भवनों का निर्माण होना शुरू हो गया।

2.4 जनांकिकी :

ब्यावर, जनसंख्या के अनुसार अजमेर जिले का तीसरा बड़ा शहर है। वर्ष 1911–1921 में जनसंख्या ह्रास का कारण यहां महामारी, अकाल व प्राकृतिक आपदायें रही है। वर्ष 1921 के पश्चात् जनसंख्या में आर्थिकरण से लगातार वृद्धि होती रही। वर्ष 1951–1961 में अजमेर जिले में अकाल पड़ने के कारण जनसंख्या में गिरावट रही है। वर्ष 1961–1971 के दशक में जनसंख्या में वृद्धि हुई तथा वृद्धि दर 22.59 प्रतिशत रही। 1971–81 के दशक में इस वृद्धि दर में ओर बढ़ोतरी हुई तथा 36.13 प्रतिशत रही। इसका मुख्य कारण औद्योगिक विकास तथा अन्य स्त्रोतों से पानी की उपलब्धता रही। वर्ष 1981–91 एवं 1991–2001 के दशकों में जनसंख्या वृद्धि 18.58 प्रतिशत एवं 18.04 प्रतिशत रही है। आधार वर्ष 2011 में जनसंख्या 1,45,809 है तथा वृद्धि दर दशक 2001–2011 में 15.74 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

तालिका संख्या–1 में विद्यमान जनसंख्या वृद्धि दर दर्शाई गई है :–

तालिका संख्या– 1

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति – ब्यावर – 1901–2011

क्र.सं.	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	वृद्धि दर (%) (दशकीय)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
1.	1901	21,928	–	–	–
2.	1911	22,800	872	3.98	0.39
3.	1921	22,362	(–) 438	(–) 1.92	–0.19
4.	1931	28,342	5980	26.74	2.40
5.	1941	36,720	8378	29.56	2.62
6.	1951	51,054	14334	39.03	3.35
7.	1961	53,931	2877	05.63	0.55
8.	1971	66114	12183	22.59	2.06
9.	1981	89,998	23884	36.12	3.13
10.	1991	1,06,721	16723	18.58	1.72
11.	2001	1,25,981	19,260	18.04	1.67
12.	2011	1,45,809	19,828	15.74	1.46

स्त्रोत : जनगणना –2011

2.5 व्यावसायिक संरचना :

वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार ब्यावर में कुल जनसंख्या का 28.39 प्रतिशत कार्यशील व्यक्ति थे। वर्ष 2001 में यह प्रतिशत बढ़कर 31.13 प्रतिशत हो गया तथा वर्ष 2011 की जनसंख्या में से 32.00 प्रतिशत व्यक्ति कार्यशील रहने का अनुमान है।

वर्ष 1991 में कृषि सम्बन्धित कार्यों में 3.98 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 1.47 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 1.30 प्रतिशत कार्यशील व्यक्तियों की भागीदारी रही। अन्य सेवाओं में यह भागीदारी वर्ष 1991 में 91.05 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 85.34 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 85.45 प्रतिशत रही है। व्यावसायिक सरंचना तालिका संख्या 2 में दर्शाई गई है :–

तालिका संख्या– 2

व्यावसायिक सरंचना, ब्यावर – 1991–2001–2011*

क्र. सं.	व्यावसाय	1991		2001*		2011*	
		व्यक्ति	प्रतिशत	व्यक्ति	प्रतिशत	व्यक्ति	प्रतिशत
1.	काश्तकार	1206	3.98	352	0.90	397	0.80
2.	कृषि मजदूर			226	0.57	248	0.50
3.	गृह उद्योग	1505	4.97	5171	13.19	6572	13.25
4.	अन्य सेवाएं	27592	91.05	33466	85.34	42383	85.45
	योग	**30303**	**100.00**	**39215**	**100.00**	**49600**	**100.00**
	कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत	–	**28.39**	–	**31.13**	–	**32.00**

स्त्रोत : जनगणना एवं सलाहकार द्वारा अनुमानित*

2.6 विद्यमान भू– उपयोग :

वर्तमान में शहर के विकास की दिशा रा.रा. मार्ग संख्या–8 के साथ–साथ उत्तर–पूर्व एवं दक्षिण में तथा पश्चिम में जोधपुर–पाली को जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्गों की ओर हो रहा है। शहर का भीतरी भाग उच्च घनत्व वाला क्षेत्र है। वर्तमान में कुल नगरीयकृत क्षेत्र 1879.00 हैक्टर है तथा कुल विकसित क्षेत्र 1220.65 हैक्टर है। विद्यमान भू– उपयोग तालिका संख्या 3 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या– 3

विद्यमान भू–उपयोग – ब्यावर –2011

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टर)	विकसित क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकृत क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	424.55	34.78	22.60
2.	वाणिज्यिक	90.00	7.37	4.79
3.	औद्योगिक	144.75	11.86	7.70
4.	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	13.00	1.06	0.69
5.	आमोद–प्रमोद	8.85	0.73	0.47
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक	129.50	10.61	6.89
7.	परिसंचरण	410.00	33.59	21.82
	कुल विकसित क्षेत्र	**1220.65**	**100.00**	**64.96**
8.	कृषि	156.90	–	8.35
9.	गौशाला / डेयरी / मूर्गीपालन	9.64	–	0.51
10.	रिक्त भूमि	466.96	–	24.85
11.	जलाशय, नदी, नाले आदि	24.85	–	1.33
	कुल नगरीयकृत क्षेत्र	**1879.00**	–	**100.00**

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वे अनुसार

2.6(1) आवासीय :

ब्यावर शहर सघन रूप में बसा हुआ है। आवासीय हेतु बसावट शहर के बाहरी स्थलों पर होने लगी है। जहां काफी कालोनी विकसित हुई है परन्तु वहां मकान आदि का निर्माण नहीं हुआ है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार ब्यावर में 45 वार्ड थे। इन वार्डों का विवरण तालिका संख्या 4 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या– 4

वार्डवाइज जनसंख्या, ब्यावर–2001

वार्ड संख्या	परिवारों की संख्या	जनसंख्या	कुल जनसंख्या का प्रतिशत
1	805	4289	3.40
2	383	2518	2.00
3	408	2611	2.07
4	347	1808	1.43
5	362	2109	1.67
6	609	3379	2.68
7	531	2831	2.25
8	333	1918	1.54
9	340	2118	1.68
10	293	1778	1.41
11	281	1599	1.26
12	374	2323	1.84
13	304	1935	1.53
14	284	1867	1.48
15	327	2087	1.65
16	257	1543	1.22
17	331	2101	1.67
18	375	2678	2.12
19	306	1942	1.54
20	316	1899	1.50
21	368	2175	1.72
22	308	1694	1.34
23	373	2205	1.75
24	304	1943	1.58
25	357	2181	1.73
26	454	2782	2.20
27	445	2683	2.12
28	306	1936	1.54
29	365	2294	1.82

30	330	1830	1.45
31	357	2154	1.75
32	573	3417	2.71
33	555	2948	2.35
34	443	2542	2.01
35	297	1728	1.37
36	1014	5398	4.29
37	565	3187	2.52
38	1114	6070	4.82
39	484	3116	2.47
40	577	3665	2.90
41	750	4268	3.39
42	720	4170	3.31
43	836	4636	3.69
44	1025	6008	4.77
45	596	3394	2.70
बाह्य वृद्धि	413	2222	1.76
कुल	**21505**	**125979**	**100.00**

स्त्रोत : जनगणना –2001

वार्ड संख्या 38 की जनसंख्या 6070 व्यक्ति है जो सर्वाधिक है। इसके बाद वार्ड संख्या 44 की जनसंख्या 6008 व्यक्ति है। सबसे कम जनसंख्या वार्ड संख्या 16 की 1543 व्यक्ति है।

वर्ष 2011 में ब्यावर के विद्यमान भू–उपयोग मानचित्र के अनुसार आवासीय भू–उपयोग के अन्तर्गत 424.55 हैक्टेयर भूमि दर्शायी गयी है। ब्यावर के विद्यमान मास्टर प्लान के भू–उपयोग प्लान में लगभग 466.96 हैक्टर भूमि रिक्त है, जिसे भू–उपयोग योजना –2031 में विभिन्न उपयोग हेतु चिन्हित किया जायेगा । आवासीय क्षेत्र कुल विकसित क्षेत्र का 34.78 प्रतिशत है तथा कुल नगरीयकृत क्षेत्र का 22.60 प्रतिशत है।

2.6(1) (अ) कच्ची बस्तियां :

ब्यावर में छः (6) कच्ची बस्तियां है। इनमें लगभग 3000 व्यक्ति निवास करते हैं। ये कजंर बस्ती, संजय नगर, सांसी बस्ती, दौलतगढ़ सिंगा, फतेहपुरिया दोयम एवं गडरिया लुहार के नाम से जानी जाती है।

इनमें से संजयनगर एवं फतेहपुरिया दोयम, फतेहपुरिया ग्राम में स्थित है तथा सांसी बस्ती व कंजर बस्ती छावनी परेड में वन विभाग के कार्यालय के पास है तथा गडरिया लुहार, मेवाड़ी गेट के पास है एवं दौलतगढ़ सिंगा राष्ट्रीय राजमार्ग–14 पर ग्राम दौलतगढ़ सिंगा में स्थित है। कच्ची बस्ती के निवासी मजदूरी करते हैं एवं औपचारिक क्षेत्र (Informal Sector) में कार्य करते हैं। कच्ची बस्तियों के सुधार हेतु भारत सरकार की योजना के अन्तर्गत इनके सुधार का कार्य नगर परिषद् द्वारा किया जाता है।

2.6 (2) वाणिज्यिक :

ब्यावर में लगभग 90.00 हैक्टर का क्षेत्र वाणिज्यिक गतिविधियों के अन्तर्गत हैं। उक्त क्षेत्र में लगभग 33.88 हैक्टर क्षेत्र में अनाज मंडी स्थित है तथा 3.82 हैक्टर में भण्डारण व वेयर हाउसिंग स्थित है। मंडी मुख्य जिला सड़क–84 पर एवं वेयर हाउसिंग गोदाम रा.रा. मार्ग–8 के बाईपास पर मंडी के दक्षिण में स्थित है।

यहाँ मुख्य आठ (8) बाजार है। पाली बाजार चांग गेट से सुरजपोल गेट तक है। इसमें लगभग 400 दुकानें है। यह मुख्य बाजार है तथा शहर की लगभग सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। महावीर बाजार, अग्रसेन बाजार परकोटे के अन्दर अजमेरी गेट से मेवाड़ी गेट तक हैं। इनमें लगभग 200–250 दुकानें हैं। चांग गेट बाजार चांग गेट के बाहर स्थित है इसमें भी सभी प्रकार की दुकानें है जो 75–100 के लगभग है। सेन्दड़ा बाजार रा.रा. मार्ग–14 पर गोविन्दपुरा ग्राम तक है इसमें भी 100–150 दुकानें है। रूबानी (सिटी) सिनेमा के पास भी एक बाजार विकसित है जो रेलवे स्टेशन एवं आशीर्वाद सिटी तक जाता है जो महालक्ष्मी मिल के समीप है। सुभाष बाजार, अजमेरी गेट के बाहर तहसील के सामने स्थित है तथा रा.रा. मार्ग–14 पर, बस

स्टेन्ड के पास भी एक बाजार नगर परिषद् द्वारा विकसित किया गया है जो गोयल टॉकिज के पास स्थित है। इसमें लगभग 200–300 दुकानें हैं। छितराई हुई दुकानें व वाणिज्यिक केन्द्र शहर से बाहर जाने वाली लगभग सभी सड़कों पर विकसित हो गये है। ब्यावर मे वाणिज्यिक क्षेत्र कुल विकसित क्षेत्र का 7.37 प्रतिशत तथा कुल नगरीकृत क्षेत्र का 4.79 प्रतिशत है।

2.6 (3) औद्योगिक :

ब्यावर में औद्योगिक के अन्तर्गत 144.75 हैक्टेर का क्षेत्र है। यह क्षेत्र मुख्यतः रीको द्वारा विकसित किया गया है। कुछ क्षेत्र शहर में विभिन्न स्थलो में विकसित हो गये है। जिनको कालान्तर में स्थानान्तरित किया जावेगा। ब्यावर औद्योगिक क्षेत्र में काफी विकसित है। यहां से 8 किमी की दूरी पर सीमेन्ट की वृहद् इकाई ''श्री सीमेन्ट'' स्थित है। ब्यावर में ऊन, धागे एवं टैक्सटाइल इत्यादि की वृहद् इकाइयां थी जिनमें से मुख्य महालक्ष्मी मिल, कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल थी। इनमें से कृष्णा मिल व एडवर्ड मिल बन्द हो चुकी है केवल महालक्ष्मी मिल ही कार्यरत है। ब्यावर में खनिज उत्पाद से सम्बन्धित भी कई इकाइयां कार्यरत है। इसके अतिरिक्त केमिकल उत्पाद की भी इकाइयां है तथा प्रोसेस इण्डस्ट्री में तोषनीवाल इण्डस्ट्री प्रमुख है। ज्वैलरी आदि बनाने से सम्बन्धित भी इकाइयां यहां स्थित है। ब्यावर में औद्योगिक क्षेत्र कुल विकसित क्षेत्र का 11.86 प्रतिशत तथा नगरीयकृत क्षेत्र का 7.70 प्रतिशत है।

2.6 (4) राजकीय एवं अर्द्धराजकीय :

ब्यावर अजमेर जिले का उप खण्ड मुख्यालय है तथा जिले का प्रथम श्रेणी का नगर है। जिला मुख्यालय अजमेर के बाद ब्यावर ही प्रशासनिक केन्द्र है। यहाँ लगभग सभी प्रदेश के राजकीय कार्यालय स्थित है तथा केन्द्र सरकार के भी 4 कार्यालय है। राज्य सरकार के कार्यालयों की संख्या 26 है तथा स्थानीय निकाय का एक कार्यालय है। उक्त कार्यालयों का विवरण तालिका संख्या 5 में दर्शाया गया है :

तालिका संख्या– 5

राजकीय एंव अर्द्धराजकीय कार्यालय ब्यावर–2011

क्रम संख्या	राजकीय कार्यालय का नाम	कर्मचारीयों की सख्या
1.	उप खण्ड अधिकारी	12
2.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	28
3.	विद्युत वितरण निगम लि.	35
4.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	25
5.	जिला उद्योग केन्द्र	6
6.	जिला परिवहन कार्यालय	15
7.	कार्यालय श्रम कल्याण अधिकारी	12
8.	वाणिज्यिक कर अधिकारी	32
9.	कृषि उपज मण्डी समिति	9
10.	कार्यालय परिवहन निगम	450
11.	राजस्थान वित्त निगम	9
12.	रिको लिमिटेड	4
13.	कार्यालय सहकारी समितियां	12
14.	कार्यालय सहायक निदेशक कृषि विभाग	10
15.	सिंचाई विभाग	20
16.	राज्य बीमा एवं प्राविधिकि विभाग	21
17.	समाज कल्याण विभाग	4
18.	आवासन मण्डल	7
19.	बाल विकास विभाग	10
20.	वन विभाग	42
21.	सूचना व जनसम्पर्क कार्यालय	4
22.	कार्यालय आबकारी निरीक्षक	8
23.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग	25
24.	पुलिस विभाग	45
25.	उप कारागृह, ब्यावर	15
26.	आबाकारी कार्यालय	10
		870

केन्द्र सरकार के कार्यालय		
1.	अधीक्षक डाकघर, ब्यावर	28
2.	केन्द्रीय शुल्क विभाग	10
3.	आयकर कार्यालय	11
4.	भारत दूरसंचार लिमिटेड	93
		142
स्थानीय निकाय	नगर परिषद्	**573**
अन्य		**211**
		784
	कुल	**1796**

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

राजकीय एवं अर्द्धराजकीय के अर्न्तगत लगभग 13.00 हैक्टर का क्षेत्र है जो कुल विकसित क्षेत्र का 10.61 प्रतिशत है तथा कुल नगरीयकृत क्षेत्र का 6.89 प्रतिशत है।

2.6 (5) आमोद प्रमोद :

पुराना ब्यावर शहर जो परकोटे के अन्दर स्थित है वहां काफी घनी आबादी है तथा पार्क एवं खुले स्थलों का अभाव है। ब्यावर में निम्नलिखित पार्क एवं उद्यान है –

(1) बाल उद्यान यह टाटगढ़ रोड़ पर स्थित है।

(2) सुभाष उद्यान, सेदरिया रोड़ पर सूरजपोल गेट के पास।

(3) शहीद पार्क, एस.डी.ओ. निवास के सामने।

(4) गरबा चौक, साकेत नगर में।

(5) लाइन्स गार्डन, नगर परिषद् के सामने।

(6) रिको पार्क, रिको आवासीय कॉलोनी में।

(7) जानोदिया पार्क, रूबानी सिनेमा के सामने।

आमोद प्रमोद के अर्न्तगत लगभग 8.85 हैक्टर का क्षेत्र है जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.73 प्रतिशत है तथा कुल नगरीयकृत क्षेत्र का 0.47 प्रतिशत है।

2.6 (6) सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें :

2.6 (6)अ–शैक्षणिक :

शैक्षणिक क्षेत्र में ब्यावर काफी विकसित है। यहां कुल 5 महाविद्यालय है जिनमें से 2 राजकीय है इनका विवरण तालिका संख्या 6 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 6

महाविद्यालय – ब्यावर–2011

क्रम संख्या	नाम	राजकीय / निजी	स्थिति
1.	एस.डी. कॉलेज	राजकीय	मुख्य जिला सड़क 84 पर
2.	ब्यावर कॉलेज	निजी	नगर निगम के पीछे (मिशन स्कूल में)
3.	वर्द्धमान कन्या महाविद्यालय	राजकीय	मुख्य जिला सड़क–84 पर
4.	दयानन्द आर्य महाविद्यालय	निजी	पाली बाजार
5.	संस्कृति कॉलेज	निजी	भगत सिंह चौराहे पर गणपति प्लाजा

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

यहाँ तकनीकी शिक्षा हेतु 2 पोलीटेकनिक कॉलेज तथा 5 (पाँच) औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र है। इनका विवरण तालिका संख्या 7 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 7

तकनीकी शिक्षा – ब्यावर–2011

क्रम संख्या	नाम	राजकीय / निजी	स्थिति
1.	ब्यावर पोलोटेक्नीक कॉलेज	निजी	राष्ट्रीय राजमार्ग–14 पर
2.	सत्यम पोलोटेक्नीक कॉलेज	निजी	उदयपुर रोड़ पर
3.	औद्योगिक प्रशिक्षणक केन्द्र	राजकीय	जालियों रोड़ पर
4.	नन्देश्वर आई.टी.आई.	निजी	मेडियां (नया नगर)
5.	पारीक आई.टी.आई.	निजी	जोधपुर/पाली रोड़ (राष्ट्रीय राजमार्ग–14)
6.	राज आई.टी.आई.	निजी	गणेशपुरा
7.	मोहम्मद अली मेमोरियल आई.टी.आई.	निजी	छावनी परेड

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

यहाँ एक राजकीय जिला प्रशिक्षण केन्द्र (नर्सिग) है तथा दो नर्सिग कॉलेज एवं एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल है। इनका विवरण तालिका संख्या 8 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 8

नर्सिग कॉलेज – ब्यावर–2011

क्रम संख्या	नाम	राजकीय / निजी	स्थिति
1.	जिला प्रशिक्षण केन्द्र (नर्सिग)	राजकीय	छावनी परेड
2.	एस.एम.एस. नर्सिग कॉलेज	निजी	उदयपुर रोड़ पर
3.	पूजा नर्सिग कॉलेज	निजी	मुख्य जिला सड़क 84 पर
4.	एस.एम.एस.टीचर ट्रेनिंग केन्द्र	निजी	उदयपुर रोड़ पर

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

ब्यावर में 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय है जिनमें से 9 राजकीय विद्यालय है। इनका विवरण तालिका संख्या 9 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 9

उच्च माध्यमिक विद्यालय–ब्यावर–2011

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	राजकीय/निजी
1.	बनवारी लालगोठी उ.मा. विद्यालय	निजी
2.	कंचन देवी उ.मा. विद्यालय	राजकीय
3.	चिम्मन सिंह लोढ़ा उ.मा. विद्यालय	राजकीय
4.	केसरीदेवी राजकीय उ.मा. विद्यालय	राजकीय
5.	आनन्दीलाल गिरराज उ.मा. विद्यालय	निजी
6.	राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, छावनी	राजकीय
7.	राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, डिग्गी	राजकीय
8.	राजकीय बालिका उ.मा. विद्यालय, शाहपुरा मोहल्ला	राजकीय
9.	राजकीय पटेल उ.मा. विद्यालय	राजकीय
10.	राजकीय जैन गुरूकुल उ.मा. विद्यालय	राजकीय
11.	गोदावरी बालिका उ.मा. विद्यालय	राजकीय
12.	सेन्ट पॉल सी.सै. स्कूल	निजी
13.	अली मोहम्मद उच्च माध्यमिक विद्यालय	निजी

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

ब्यावर में कुल 14 माध्यमिक विद्यालय है जिनमें से 2 राजकीय विद्यालय है। इनका विवरण तालिका संख्या 10 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 10

माध्यमिक विद्यालय–ब्यावर–2011

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	राजकीय/निजी
1.	मिशन बालिका माध्यमिक विद्यालय	निजी
2.	सनातन धर्म प्रकाशक माध्यमिक विद्यालय	निजी
3.	एलक पन्नालाल दिगम्बर जैन माध्यमिक विद्यालय	निजी
4.	बेबी डेप्पी माध्यमिक विद्यालय	निजी
5.	राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय	राजकीय
6.	महाराणा प्रताप बाल विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, कुमावत कॉलोनी	राजकीय
7.	दयानन्द बालिका मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, गणेशपुरा रोड़, ब्यावर	निजी
8.	सेन्ट्रल एकेडमी	निजी
9.	नृसिंह अग्रसेन माध्यमिक विद्यालय	निजी
10.	आदर्श विद्या मन्दिर माध्यमिक विद्यालय, उदयपुर रोड़, ब्यावर	निजी
11.	ऑक्सफोर्ड, गैलक्सी माध्यमिक विद्यालय	निजी
12.	सेन्ट जेवियर स्कूल	निजी
13.	विद्या भारतीय माध्यमिक स्कूल	निजी
14.	भरोथियां माध्यमिक विद्यालय	निजी

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

ब्यावर में 19 उच्च प्राथमिक विद्यालय है जिनमें से 15 राजकीय विद्यालय है। तथा शेष निजी क्षेत्र मे है। इनका विवरण तालिका संख्या 11 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 11

उच्च प्राथमिक विद्यालय–ब्यावर – 2011

क्रम संख्या	विद्यालय का नाम	राजकीय/निजी
1.	मिशन बायज उच्च प्राथमिक विद्यालय	निजी
2.	राजकीय उ. प्रा. वि., चम्पा नगर	राजकीय
3.	राजकीय उ. प्रा. वि. पटेल (रंगमहल)	राजकीय
4	राजकीय उ. प्रा. वि., सेदरिया	राजकीय
5.	दयानन्द सरस्वती उ. प्रा. वि., गणेशपुरा, ब्यावर	निजी
6.	रा. बा. उच्च प्रा. विद्यालय, सेन्दड़ा नगर, ब्यावर	राजकीय
7.	मार्डन इगलिंश स्कूल	निजी
8.	ज्ञान सागर पब्लिक स्कूल	निजी
9.	रा. उ. प्रा. वि. विद्यालय, चांदगढ़, ब्यावर	राजकीय
10.	रा. उ. प्रा. वि. मोतीपुरा, ब्यावर	राजकीय
11.	रा. बा. उ. प्रा. वि. नृसिंहपुरा	राजकीय
12.	रा. बा. उ. प्रा. वि., छावनी	राजकीय
13.	रा. उ. प्रा. वि. नवीन नित्य	राजकीय
14.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, शाहपुरा मोहल्ला	राजकीय
15.	शान्ती जैन उ. प्रा. विद्यालय	राजकीय
16.	रा. उ. मा. विद्यालय, गोपालजी मोहल्ला	राजकीय
17.	रा. उ. प्रा. विद्यालय, नेहरू नगर	राजकीय
18.	रा. उ. प्रा. वि. सिन्धी सरावगी मोहल्ला	राजकीय
19.	रा. उ. प्रा. वि. सूरज पोल गेट	राजकीय

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा सर्वेक्षण

ब्यावर में 107 आंगनबाड़ी केन्द्र संचालित है जो निजी भवनों में कार्यरत है तथा 7 (सात) मिनि केन्द्र है।

2.6 (6)ब – चिकित्सा :

ब्यावर में दस राजकीय चिकित्सालय है। जिनमें राजकीय अमृतकोर चिकित्सालय सबसे बड़ा हैं। इसमें 305 बिस्तर रोगियों के लिये उपलब्ध हैं तथा लगभग 700 से 800 बाह्य रोगी आते हैं। एक राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी, मेवाड़ी गेट के पास स्थित है। यहां एक आयुर्वेदिक चिकित्सालय भी है जो नगर परिषद् कार्यालय के पास भगतसिंह चौराहे पर स्थित है। उक्त के अतिरिक्त एक ई.एस.आई. चिकित्सालय एवं एक पोस्टल डिस्पेन्सरी भी यहां स्थित है। यहां लगभग 12 निजी क्षेत्र में चिकित्सा सेवा उपलब्ध है। निजी क्षेत्र के चिकित्सालयों मे लगभग 65–70 बिस्तर रोगियों के लिये उपलब्ध हैं। विद्यमान चिकित्सा सुविधाऐ निम्न तालिका संख्या–12 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 12

चिकित्सा सुविधायें – ब्यावर – 2011

क्रम संख्या	नाम	प्रकार	शैयाओं की संख्या
1.	राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय	राजकीय	305
2.	ई.एस.आई. चिकित्सालय	राजकीय	–
3.	राजकीय सिटी डिस्पेन्सरी	राजकीय	–
4.	श्री चांदमल आयुर्वेदिक चिकित्सालय	राजकीय	18
5.	पार्श्वनाथ जैन अस्पताल	निजी	50–60
6.	राजकीय नैत्र चिकित्सालय	राजकीय	8
7.	बी.डी. श्रमिक अस्पताल	राजकीय	–
8.	शेखावत अस्पताल	निजी	–
9.	संजीव क्लिनिक	निजी	–
10.	टी.बी. अस्पताल	राजकीय	–
11.	जय क्लिनिक	निजी	10
12.	महिला अस्पताल	राजकीय	5–6
13.	पोस्टल डिस्पेन्सरी	राजकीय	–
14.	राठी अस्पताल	निजी	–
15.	चाइल्ड अस्पताल	निजी	5–7
16.	जैन गोकुलचन्द मोदी अस्पताल	निजी	–
17.	नेहा नर्सिग होम	निजी	–
18.	जे.एम.डी. अस्पताल व रिसर्च सेन्टर	निजी	3
19.	रोटरी चिकित्सालय	निजी	–
20.	राजकीय स्वास्थ्य केन्द्र	राजकीय	–
21.	अश्विनी अस्पताल व रिसर्च सेन्टर	निजी	–
22.	कल्याण आयुर्वेदिक औषघालय	निजी	–

पशु चिकित्सालय :

ब्यावर में 'अ' श्रेणी का एक पशु चिकित्सालय हैं तथा 2 पशु चिकित्सा केन्द्र भी कार्यरत है। 'अ' श्रेणी का पशु चिकित्सालय मुख्य जिला सड़क–84 पर जय सिनेमा के पास स्थित है तथा एक उप केन्द्र ग्राम दौलतगढ़ सिंगा में स्थित है तथा दूसरा उप केन्द्र छावनी परेड़ में है।

2.6 (6)स – सामाजिक/सांस्कृतिक/धार्मिक / ऐतिहासिक स्थल :

यहां एक क्लब है जो ब्यावर क्लब के नाम से जाना जाता है। यहां एक बृह्मनान्द वृद्ध आश्रम है यहां ब्रह्मजी का मन्दिर है तथा वृद्धजन निवास करते हैं। ब्यावर में प्रसिद्ध आशामाता मंदिर है जिसकी काफी मान्यता है। इसके अतिरिक्त यहां रामदेवजी का मंदिर है जहां हर वर्ष रामदेव जयन्ती पर मेला लगता है। शहर की मुख्य सड़क पर स्थित गुरू गोविन्द सिंह सर्किल पर एक हनुमान जी का मंदिर है तथा एक गुरूद्वारा भी स्थित है। परकोटे के अन्दर एक चर्च है व मस्जिदें एवं मन्दिर बने हुए है। यह एक ऐतिहासिक नगर है जिसकी स्थापना 1836 में हुई थी। यहां एतिहासिक परकोटा बना हुआ है जिसमें चार दरवाजें, चांग गेट, सूरजपोल, अजमेरी गेट व मेवाड़ी गेट है। पूर्व में इन दरवाजों से ही नगर में प्रवेश किया जाता था। शहर में बनवाये गये परकोटे की लम्बाई लगभग 10,600 फीट थी। शहर के अन्दर की गलियां एवं रास्ते समानान्तर बने हुए हैं जो आपस में चौपड़ बनाते हैं। सेदरीया रोड़ पर प्रसिद्ध जैन मन्दिर एवं नसियां बनी हुई है जो जैन समाज का एक प्रसिद्ध स्थल है तथा एक दादीधाम जैन मंदिर रा. रा. मार्ग–14 पर स्थित है।

शहर में प्रसिद्ध बिचड़ली तालाब स्थित है जिसके पाल के पास सुभाष उद्यान है तथा कई मन्दिर बने हुए हैं व छत्रियां बनी हुई है।

श्री सीमेन्ट फैक्ट्री के पास प्रसिद्ध वीर हनुमान जी का मंदिर है। ब्यावर से लगभग 10 कि.मी. की दूरी पर नीलकंट तीर्थधाम है जहां हर वर्ष मेला लगता है। जालिया रोड़ पर अजगर बाबा का मंदिर है। माताजी की डूंगरी प्रसिद्ध मंदिर है जहां हर वर्ष नवरात्रों पर मेला लगता है।

2.6 (6)द – अन्य सामुदायिक सुविधायें :

ब्यावर में विभिन्न धर्मशालायें स्थित है। इनके अतिरिक्त नगर परिषद् द्वारा संचालित एक धर्मशाला, रेलवे स्टेशन के समीप स्थित है। यहां एक मुख्य डाकघर तथा 5 अन्य डाकघर है जो लक्ष्मी मार्केट, शाहपुरा मोहल्ला, कॉलेज रोड, सेन्दरीया रोड़, रेलवे स्टेशन पर स्थित है।

यहां राष्ट्रीयकृत बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर, स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक आदि है। इनके अतिरिक्त एक राजस्थान ग्रामीण बैंक तथा निजी क्षेत्र की बैंक एच.डी.एफ.सी. व आई.सी.आई.सी.आई. बैंक भी स्थित है। यहां एक अन्नि शमन केन्द्र है जो नगर परिषद् द्वारा संचालित है।

ब्यावर में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित एक छात्रावास है जिसमें लगभग 60 छात्र निवास करते हैं इसके अतिरिक्त यहाँ एक अग्रसेन समाज का छात्रावास परकोटे के अन्दर मेवाडी गेट के पास स्थित है। समाज कल्याण विभाग का छात्रावास उदयपुर रोड पर स्थित है। राज्य सरकार के बाल विकास विभाग द्वारा भी एक छात्रावास संचालित किया जाता है जिसमें लगभग 117 छात्र निवास करते हैं। यह छात्रावास आदर्श नगर गली संख्या–2 पर स्थित है। विजयनगर रोड पर एक उप कारागार स्थित है तथा एक सहायक पुलिस अधीक्षक का कार्यालय है तथा दो थाने हैं जो ब्यावर सिटी व ब्यावर सदर के नाम से जाने जाते हैं।

नगर परिषद् के सामने एक प्राचीन राजकीय पुस्तकालय है जो लायन्स गार्डन में स्थित है। यहां 2 श्मशान है। यह बलाड नाला व गढ़ी थोरियान में स्थित है।

ईसाईयों का कब्रिस्तान ब्यावर खास को जाने वाली रेलवे लाईन के उत्तर में है। कब्रिस्तान नाले के ऊपर छावनी परेड में तथा मेवाड़ी गेट के पास तथा उदयपुर को जाने वाली सड़क पर स्थित है।

यहॉ लगभग 25 विवाह स्थल है जो नगर परिषद् द्वारा पंजीकृत है। इनका विवरण तालिका संख्या 13 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 13

विवाह स्थल – ब्यावर – 2011

क्रम संख्या	विवाह स्थल का नाम	पता
1.	कौशल्या गार्डन	अजमेर रोड़,आर.एस.ई.बी. के पास
2.	ओम शान्ति ओम गार्डन	अजमेर रोड़
3.	केशव नेन गार्डन	अजमेर रोड़, गायत्री नगर
4	द्वारकाधीश गार्डन	अजमेर रोड़, सतपुलिया
5.	उत्सव वाटिका	मसूदा रोड़ कृष्णनगर
6.	राठी गार्डन	चांग चितार रोड़
7.	गहलोत गार्डन	सूरजपोल गेट बाहर पंचायती नसीया
8.	मुणोत गार्डन	ब्रह्मनन्द मार्ग
9.	श्री गार्डन	सेन्दरा रोड़
10.	राजमहल वाटिका	जोधपुर रोड़
11.	सुर्य महल रानीबाग	सेन्दरा रोड़
12.	बोहरा गार्डन	ब्रह्मनन्द मार्ग
13.	रांकाजी की बगीची	मेवाडी गेट बाहर
14.	न्यू वृन्दावन गार्डन	आशापुरा माता मन्दिर के पीछे
15.	प्रेरणा गार्डन	उदयपुर रोड़ कृषि मण्डी के सामने
16.	शिव बाडी	मेवाडी गेट बाहर
17.	रंगजी की बगीची	मेवाडी गेट बाहर
18.	लक्ष्मी वाटिका	मेवाडी गेट बाहर, कुम्हारान गली
19.	जनकपुरी गार्डन	मेवाडी गेट बाहर, कुम्हारान गली
20.	अष्ट विनायक गार्डन	नन्दनगर गली 02
21.	ब्रजचन्दा गार्डन	अजमेर रोड़
22.	सुरजभवन	मेवाडी गेट बाहर, कुन्दन नगर
23.	गोकुलम गार्डन	राठीमेन्शन शाहपुरा मौहल्ला

24.	प्रभू की बगीची	मसूदा रोड़ पुराना चुंगीनाका के पास
25.	विरल बृजलीला गार्डन	कॉलेज रोड़ पानी की टंकी के पास

स्त्रोत : नगर परिषद् द्वारा

2.6 (6) य – जनोपयोगी सुविधायें :

2.6 (6) य (i) जलापूर्ति :

ब्यावर में जलापूर्ति बीसलपुर बांध एवं ट्यूबवैल से की जाती है। बीसलपुर से 16 MLD पानी की सप्लाई की जाती है। इनके अतिरिक्त जालिया टेंक, मकरेड़ा टैक तथा सांदडा बेली में स्थित खुले कुएं हैं। यहां सप्लाई फूलसागर टैंक के द्वारा भी की जाती है। यहां 13 खुले कुएं है। बीसलपुर से पानी आने के कारण यहां जल आपूर्ति में तेजी आई है। पानी का कुल वितरण लगभग 18 MLD है। जल कनेक्शनों का विवरण निम्न तालिका संख्या–14 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 14

जलापूर्ति – ब्यावर – 2011

क्रम संख्या	उपभोग	कनेक्शनों की संख्या
1	आवासीय	27141
2.	व्यावसायिक	648
3.	औद्योगिक	124
	योग	**27913**

स्त्रोत : जन स्वास्थ्य अभि. विभाग,ब्यावर

यहाँ लगभग 284 सरकारी हाइड्रेन्ट है। इन हाइड्रेन्ट में 1 इंच की लाईन है। ब्यावर में 3 इंच की लाईन के 6 कनेक्शन है जो अस्पताल, रेलवे व पोस्टल विभाग की सप्लाई हेतु है। 4 इंच का केवल एक कनेक्शन है जो I.O.C. कॉलोनी हेतु बनाई गयी थी। इनके अतिरिक्त 2 इंच का एक व 1 इंच की लाइन के 11 (ग्यारह) कनेक्शन है जो होटल व धर्मशालाओं के हेतु दिये गये है। पानी की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की आपूर्ति

लगभग 107 लीटर है। यह PHED की मानदण्ड 135 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन से काफी कम है।

वर्तमान में पानी के सप्लाई हेतु नगर को 62 जोनों में बांटा गया है। यहां पानी की सप्लाई लाइनों की कुल लम्बाई 266.7 किलोमीटर है। यहां 5 CWR व 9 SRS है तथा 2 पम्प हाउस है। बीसलपुर के पानी का ट्रिटमेन्ट केकडी में होता है तथा वहां से पानी ब्यावर को सप्लाई किया जाता है।

2.6(6) य (ii) जल मल निकास व ठोस कचरा निस्तारण एंव प्रबन्धन :

ब्यावर में सीवर लाईन का अभाव है। शहर में अधिकतर शौचालय खुले हुए है। नई आवासीय कॉलोनियों में सेपटिक टेंक, सोक पिट बनाये जाते हैं। यहां नालियां व नाले खुले है तथा बारिश के पानी के निकास हेतु कोई समुचित सुविधा उपलब्ध नहीं है।

पानी के सप्लाई हेतु UIDSSMT प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक प्रतिवेदन तैयार करवाया गया है जिसका क्रियान्वयन नगर परिषद् द्वारा करवाया जा रहा है। इसी प्रकार जल–मल निकास हेतु भी उक्त योजना में प्रतिवेदन तैयार करवाया जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

2.6 (6) य (iii) – विद्युत आपूर्ति :

नगर में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा की जाती है। 220 केवी का ग्रिड सब स्टेशन उत्तर में अजमेर रोड़ पर स्थित हैं। इस ग्रिड स्टेशन में विद्युत सप्लाई मुख्य ग्रिड स्टेशन मदार, अजमेर से प्राप्त होती है। यहां विद्युत खपत लगभग 60.39 लाख यूनिट प्रतिमाह होती है। विभिन्न उपयोगों हेतु जारी विद्युत कनेक्शनों की संख्या निम्न तालिका संख्या–15 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 15

विद्युत आपूर्ति – ब्यावर – 2011

क्रम संख्या	उपभोग	कनेक्शनों की संख्या
1	घरेलू	14571
2.	वाणिज्यिक	6942
3.	(i) औद्योगिक (ii) वृहद उद्योग	1142 11
4.	अन्य	216
	योग	**22882**

स्त्रोत : कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, ब्यावर

2.7 परिसंचरण :

ब्यावर–राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (दिल्ली–मुम्बई) तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–14 (ब्यावर–सिरोही)–आबू रोड–पालनपुर (गुजरात) तथा दिल्ली–मुम्बई ब्रोग गेज लाईन पर स्थित है। राज्य राजमार्ग–39 एवं 59 तथा मुख्य जिला सड़क–57 व 84 भी ब्यावर से गुजरते हैं। इस प्रकार ब्यावर राज्य एवं देश के अन्य प्रमुख नगरों से भलि भांति जुड़ा हुआ है। शहर के अन्दर सड़कें ग्रिड़ आयरन पेटर्न (Grid Iron Pattern) पर बनी हुई है तथा उत्तर–दक्षिण व पूर्व–पश्चिम के दिशा में हैं। परिसंचरण के अर्न्तगत 410.00 हैक्टेयर का क्षेत्र है जो विकसित क्षैत्र का 33.59 प्रतिशत है। तथा नगरीकृत क्षैत्र का 21.82 प्रतिशत है।

2.7 (अ) बस टर्मिनस एवं ट्रक टर्मिनस :

ब्यावर का बस स्टेन्ड राष्ट्रीय राजमार्ग–14 पर कोर्ट के सामने स्थित है। प्राईवेट बस स्टेन्ड सेन्दरिया रोड पर सुभाष पार्क के सामने स्थित है। यहां से बसों का आवागमन एवं ठहराव उदयपुर, जोधपुर, पाली, गुजरात आदि की ओर जाने वाली बसों का होता है। यहां बसों से लगभग 5000 से 6000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं।

वर्तमान बस स्टेन्ड भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार छोटा पड़ेगा। यहां कोई नियमित ट्रक स्टेन्ड नहीं है। पूर्व में मास्टर प्लान में उदयपुर रोड़ पर मण्डी के निकट एक ट्रक स्टेन्ड प्रस्तावित किया गया था वहां कॉलोनियां बस गई है।

यहां कोई भी टैक्सी स्टेन्ड भी नहीं है तथा टेक्सीयां बेतरतीब ढंग से सड़कों के किनारे ही खड़ी रहती हैं।

2.7(ब) रेल सेवा :

ब्यावर उत्तर–दक्षिण रेलवे का एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। दिल्ली से मुम्बई वाया अहमदाबाद ब्रोड़ गेज रेलवे लाईन यहां से गुजरती है। पूर्व में यह रेलवे लाईन मीटर गेज थी तथा वर्तमान में गेज परिवर्तन के पश्चात् इस लाईन पर यात्री व मालगाड़ीयों का दबाव अत्याधिक बढ़ गया है। इस रेल लाईन पर द्रुत गति वाली रेल जैसे राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस गाड़ीया भी चलती है। इस रेल लाईन से ब्यावर का सम्बन्ध देश व राज्य के समस्त नगरों से भली भांति हो गया है।

3

नियोजन की संकल्पना

शहरी गतिविधियों को उचित दिशा प्रदान करने हेतु दिये गये दिशा–निर्देशों का संकलन ही मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान, विभिन्न गतिविधियों हेतु विभिन्न भू–उपयोगों का तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जो कि भविष्य में नगर के आकार, वृद्धि की गति, एवं विकास की दिशा को निर्धारित करती है एवं भविष्य में होने वाले विकास हेतु मार्गदर्शक का कार्य करता है। मास्टर प्लान का उद्देश्य शहरी क्षेत्र का संतुलित एवं समन्वित विकास किया जाना है। अतः मास्टर प्लान नगर की वर्तमान परिस्थितियों, नियोजन नीतियों और उद्देश्यों तथा भू–उपयोग योजना का लिखित दस्तावेज है, जो कि शहर के भावी विकास की योजना के क्रियान्वयन का मार्गदर्शक है।

योजना की मुख्य भूमिका यह होनी चाहिये कि वह यह सुनिश्चित कर सके कि भविष्य में विकास न केवल सही दिशाओं एवं स्थलों पर हो, परन्तु यह एक सफल समुदायों (Community) की संरचना कर सके, उन्हें एक पहचान दे सके तथा साथ–साथ रहने, क्रिया–कलाप करने, एवं आवागमन हेतु स्थल प्रदान कर सकें।

यह वर्तमान एवं आने वाले समुदायों (Community) के आपसी प्रयत्नों पर निर्भर करता है। योजना की प्रक्रिया इन प्रयत्नों में योगदान कर सकती हैं जैसे कि समुचित स्तर की जन एवं सामुदायिक सुविधायें सही स्थल पर सुनियोजित करना, एक स्थल पर वे सभी मूलभूत सुविधायें प्रदान करना जिससे की उसकी एक अलग पहचान बन सके, तथा यह सुनिश्चित हो कि उक्त सुविधाओं का भीतरी एवं बाहरी क्षेत्र से भली–भांति जुड़ाव हो सके एवम् वर्तमान समुदायों के साथ भी तालमेल बना रहे।

3.1 नियोजन की नीतियाँ :

ब्यावर सड़क व रेलमार्ग द्वारा आस–पास व दूर–दराज के शहरों एवं कस्बों से भली–भांति जुड़ा हुआ है। यह एक औद्योगिक एवं प्रशासनिक केन्द्र है। जिले में जिला मुख्यालय अजमेर के बाद ये ही नगर आता है। यह प्रथम श्रैणी का नगर है। भविष्य में ब्यावर को एक प्रशासनिक ,व्यावसायिक ,एव औद्योगिक तथा सामाजिक गतिविधियों के मुख्य केन्द्र के रूप मे विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.2 नियोजन के सिद्धान्त :

उपरोक्त नीतियों के सन्दर्भ में मास्टर प्लान को कार्यरूप में परिणित करने के लिये नियोजन के सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया हैं, जो कि सन् 2031 तक के भू–उपयोग योजना के प्रस्तावों को प्रतिपादित करने में मार्गदर्शन करेगा।

1. ब्यावर शहर के पुराने क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्याधिक है। आवासीय घनत्व में विषमताओं को कम किया जाना आवश्यक है। नये आवासीय क्षेत्र एवं कार्य केन्द्र उचित मूलभूत सुविधाओं के साथ विकसित किया जाना चाहिए, ताकि पुराने क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति बाहरी क्षेत्र में बसने के लिए आकृष्ट हो।

2. नये क्षेत्रों को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि नये क्षेत्रों एवं पुराने शहर में उचित सामाजिक एवं भौतिक सामजंस्य रहे।

3. नये आमोद–प्रमोद के स्थानों को विकसित करते समय यथासम्भव सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक सौन्दर्य के स्थलों का चयन किया जाना चाहिये।

4. राजकीय एवं अर्द्धराजकीय कार्यालय संगठित परिसरों में इस प्रकार स्थित किये जाने चाहिये कि वहां कार्यरत कर्मचारियों के आवास हेतु समीप ही भूमि उपलब्ध हो। कार्यालय यथासम्भव मुख्य मार्गों पर ही स्थित हो।

5. वाणिज्यिक गतिविधियां इस प्रकार वितरित की जानी चाहिये कि शहर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्र हेतु प्रतिदिन आवागमन की आवश्यकता न पड़े। नये वाणिज्यिक

केन्द्र नये आवासीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं हेतु सही स्थितियों में विकसित किये जाने चाहिए। इससे नगर के पुराने वाणिज्यिक केन्द्रों में भीड़ कम हो सकेगी।

6. औद्योगिक क्षेत्र जो कि मुख्य कार्यक्षेत्र होते हैं, वायु की दिशा के अनुसार स्थित किये जाने चाहिए, ताकि वे आसपास की आबादी, जल स्त्रोतों व पर्यावरण को दूषित न कर सके।

7. नगर के विभिन्न पथों और मार्गों के समुचित उपयोग करने हेतु यातायात संरचना में बहुस्तरीय व्यवस्था का विकास किया जाना चाहिए। क्षेत्रिय यातायात स्थानीय शहरी यातायात से मिश्रित नहीं हो इस हेतु बाईपास का प्रावधान किया जाना चाहिए।

8. प्राकृतिक तालाबों एवं ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों का संरक्षण एवं विकास किया जाना चाहिए।

9. सम्पूर्ण नगरीय क्षेत्र को विभिन्न योजना क्षेत्रों में बांटा जाना चाहिए तथा प्रत्येक योजना क्षेत्रों का नियोजन इस प्रकार होना चाहिए कि वे आवासीय, व्यावसायिक, कार्यक्षेत्रों, शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। इसी क्रम में प्रत्येक योजना क्षेत्र के लिये विस्तृत योजनायें तैयार की जानी चाहिए।

10. मास्टर प्लान के अनुरूप पेयजल, जल–मल एवं दूषित जल निकास, विद्युत एवं परिसंचरण इत्यादि ढांचागत विकास हेतु विस्तृत योजनायें तैयार की जानी चाहिए।

11. परकोटे के भीतरी क्षेत्रों में जहां सड़के सकड़ी है एवं यातायात तथा पार्किंग की समस्याएं हैं, वहां पर नये निर्माण अथवा पुनः निर्माण की स्वीकृति देते समय पार्किंग तथा यातायात का उचित प्रावधान रखना चाहिए ताकि परकोटे एवं उसमें स्थित दरवाजों से समुचित यातायात व्यवस्था एवं पार्किंग आदि का उचित प्रावधान रखा जाना चाहिए। नगर के भीतरी भाग से थोक वाणिज्यिक गतिविधियों को

बाहरी क्षेत्र में स्थानान्तरित करने हेतु प्रयास किये जाने चाहिए ताकि परकोटे के भीतरी एवं पुराने क्षेत्र में यातायात की समस्या में कम हो सके। यहां पर यातायात प्रबन्धन किया जाना भी आवश्यक है।

12. राष्ट्रीय राजमार्ग–14 एवं मुख्य जिला सड़क–84 शहर के मध्य से गुजर रहे हैं एवं वर्तमान में सड़कों पर यातायात का काफी दबाव है, तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के बाईपास तक भी शहरी विकास हो गया है। अतः मास्टर प्लान में बाईपास एवं वैकल्पिक समानान्तर सड़क विकसित की जानी आवश्यक है।

13. सकड़ी नगरीय सड़कों पर भारी यातायात को कम करने एवं उसे अन्यत्र जोड़ने के लिये पर्याप्त स्थल निर्धारित करने होंगे। थोक व्यापार, ट्रांसपोर्ट नगर, भण्डारण एवं गोदाम आदि भारी यातायात आमंत्रित करते हैं। उनके लिये घनी आबादी से दूर नये क्षेत्रों में पर्याप्त भूमि प्रस्तावित की जाने की आवश्यकता है।

14. ब्यावर शहर के आसपास काफी तालाब व नाले इत्यादि स्थित है। इन तालाबों एवं नालों के किनारे किये गये अतिक्रमणों को हटा कर, इनका समुचित रखरखाव किया जाना चाहिए तथा इनके दोनों ओर रिटेनिंगवाल बनाई जाकर समुचित विकास किया जाकर खुले एवं आमोद–प्रमोद के स्थल विकसित किये जाने चाहिए।

15. ब्यावर, आसपास के क्षेत्रों हेतु एक प्रमुख व्यावसायिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में विकसित हुआ है अतः इसके लिये पर्याप्त आधारभूत सुविधाओं का नियोजित ढंग से विकास किया जाना चाहिए।

16. ब्यावर में औद्योगिक वातावरण हेतु आधारभूत सुविधायें उपलब्ध है। अतः गत दशकों में सूती मिले तथा उन व्यवासय से जुड़ी औद्योगिक इकाईयों को पुनः संचालन एवं नई औद्योगिक इकाईयों की स्थापना हेतु प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए।

17. ब्यावर में सीमेन्ट उद्योग की एक वृहत् इकाई श्री सीमेन्ट कार्यरत है। इससे सम्बन्धित अन्य छोटी इकाईयों की स्थापना हेतु उचित प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है।

18. नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर एक परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र होना चाहिए, जिससे स्वच्छ पर्यावरण की प्राप्ति हो सके तथा अव्यवस्थित विकास की प्रक्रिया रूक सके।

4

भावी योजना का आकार

वर्ष 2001 में ब्यावर शहर की जनसंख्या 1,25,981 व्यक्ति थी। वर्ष 2011 में यहां की जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार 1,45,809 व्यक्ति है तथा वृद्धि दर दशक 2001–2011 में 15.74 प्रतिशत रहने का अनुमान है। भविष्य में वृद्धि दर पर लगभग 24 प्रतिशत रहने का अनुमान है। उक्त वृद्धि दर से वर्ष 2031 में यहां की जनसंख्या 2,40,000 व्यक्ति हो जाने की सम्भावना है। ब्यावर के अधिसूचित नगरीय क्षेत्र में 50 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया है। कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का क्षेत्रफल 12,919 हैक्टर (129.19 वर्ग किमी) है। आधार वर्ष 2011 में कुल विकसित क्षेत्र 1220.65 हैक्टर है तथा कुल नगरीयकृत क्षेत्र 1879.00 हैक्टर है। ब्यावर नगर परिषद् का क्षेत्रफल कुल 2500.00 हैक्टर (25.00 वर्ग किमी) है।

ब्यावर, अजमेर जिले का एक प्रमुख नगर है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं 14 तथा मुख्य जिला सड़क–57 एवं 84 तथा राज्य राजमार्ग 39 व 59 पर स्थित है। दिल्ली–मुम्बई ब्रोडगेज रेलवे लाईन यहां से गुजरती है। इस प्रकार यह नगर देश एवं राज्य के नगरों से भलीभांति जुड़ा हुआ है। एक औद्योगिक एवं प्रशासनिक नगर होने के कारण भविष्य में इसके विकास की विपुल सम्भावनायें है। शहर का विकास राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं 14 पर तथा राज्य राजमार्ग–39 की ओर हो रहा है। भविष्य में भी विकास उक्त मार्गों की ओर ही होने की अधिक सम्भावनायें है।

4.1 जनांकिकी :

ब्यावर की जनसंख्या दशक 1911–21 में नकारात्मक रही तत्पश्चात् इसमें लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में यह एक लाख की जनसंख्या के साथ प्रथम श्रेणी के नगरों में शामिल हो गया। वर्ष 2001 में इसकी जनसंख्या 1,25,981 थी तथा वर्ष 1991–2001 में वृद्धि दर 18.04 रही। वर्ष 2011 की जनसंख्या 1,45,809 व्यक्ति थी तथा वृद्धि दर 15.74 प्रतिशत है।

भविष्य में विकास के साथ–साथ जनसंख्या में ओर वृद्धि होने की संभावनायें है। अतः वर्ष 2031 की जनसंख्या का आंकलन करते समय यह अनुमान है कि भविष्य में जनसंख्या वृद्धि दर लगभग 24.00–24.87 प्रतिशत के आसपास रहेगी। उक्त वृद्धि दर से वर्ष 2021 की जनसंख्या 1,92,200 व्यक्ति तथा वर्ष 2031 की जनसंख्या 2,40,000 व्यक्ति हो जाने का अनुमान है। तथा वर्ष 2021–31 के दशक में वृद्धि दर 24.87 प्रतिशत रहेगी। जनसंख्या वृद्धि का अनुमान पिछले कुछ दशकों की वृद्धि दर को ध्यान में रखते हुए तथा भावी विकास की संभावनाओं के आधार पर, प्राकृतिक वृद्धि तथा प्रवासी जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अनुमानित जनसंख्या एवं वृद्धि निम्न तालिका संख्या–16 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 16

जनसंख्या वृद्धि की प्रवृति एवं अनुमान – ब्यावर – 2001 – 2031

क्रम संख्या	वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि	दशकीय वृद्धि दर (%)	वार्षिक वृद्धि दर (%)
1.	2001	1,25,981	19,260	18.04	1.67
2.	2011	1,45,809	19,828	15.74	2.10
3.	2021	1,92,200*	46,391	24.00	2.17
4.	2031	2,40,000*	47,800	24.87	2.25

स्त्रोत : जनगणना–2011 एवं सलाहकार द्वारा अनुमानित*

4.2 व्यावसायिक संरचना :

प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना नगर के पिछले दशकों में हुई जनसंख्या वृद्धि तथा विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के विकास एवं भविष्य में होने वाली अन्य गतिविधियों के विकास को ध्यान में रख कर अनुमानित की गई है। यह अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2031 में ब्यावर में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 36 प्रतिशत के लगभग होगा। यह अनुपात वर्ष 1991 में 28.39 प्रतिशत, वर्ष 2001 में 31.13 प्रतिशत

तथा वर्ष 2011 में 32.00 प्रतिशत (अनुमानित) रहा है। वर्ष 2001 में 13.19 प्रतिशत तथा वर्ष 2011 में 13.25 प्रतिशत गृह उद्योगों में तथा 85.34 तथा 85.45 प्रतिशत अन्य सेवाओं में रहा है। वर्ष 2021 में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत कुल जनसंख्या का 34 प्रतिशत आंकलित किया गया है। वर्ष 2021 में कुटीर उद्योगों में 13.50 प्रतिशत व अन्य सेवाओं में 85.30 प्रतिशत तथा वर्ष 2031 में कुटीर उद्योगों में कुल कार्यरत जनसंख्या का 13.60 प्रतिशत तथा अन्य सेवाओं में 85.40 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना को निम्न तालिका संख्या–17 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 17

वर्तमान एवं प्रस्तावित व्यावसायिक संरचना–ब्यावर –2001–2031

क्रम संख्या	व्यवसाय	2001		2011*		2021*		2031*	
		व्यक्ति	प्रतिशत	व्यक्ति	प्रतिशत	व्यक्ति	प्रतिशत	व्यक्ति	प्रतिशत
1.	काश्तकार	352	0.90	397	0.80	490	0.75	562	0.65
2.	कृषि मजदूर	226	0.57	248	0.50	294	0.45	302	0.35
3.	गृह उद्योग	5171	13.19	6572	13.25	8822	13.50	11750	13.60
4.	अन्य सेवायें	33466	85.34	42383	85.45	55742	85.30	73786	85.40
	कुल	**39215**	**100.00**	**49600**	**100.00**	**65348**	**100.00**	**86400**	**100.00**
कार्यशील व्यक्तियों का प्रतिशत			**31.13**		**32.00**		**34.00**		**36.00**

स्त्रोत : जनगणना–2001 एवं सलाहकार द्वारा अनुमानित*

4.3 नगरीय क्षेत्र :

ब्यावर शहर का मास्टर प्लान बनाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, की धारा 3(1) के अन्तर्गत ब्यावर के नगरीय क्षेत्र में 50 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित करते हुये अधिसूचना जारी की गई। उक्त अधिसूचित नगरीय क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 12,919 हैक्टर है। उक्त अधिसूचित राजस्व ग्रामों की सूची परिशिष्ठ–2 में दी गई है।

4.4 नगरीयकरण योग्य क्षेत्र :

जनांकिकी अनुमान के अनुसार ब्यावर की जनसंख्या वर्ष 2031 में 2,40,000 व्यक्ति हो जाने की संभावना है। वर्ष 2001 में यह 1,25,981 थी तथा आधार वर्ष 2011 में 1,45,809 है। इस प्रकार वर्ष 2011 की जनसंख्या में वर्ष 2031 तक लगभग 94,191 व्यक्तियों की वृद्धि हो जायेगी। इन व्यक्तियों के लिये आवास, कार्यस्थलों, आमोद–प्रमोद के स्थलों तथा अन्य सामुदायिक दायित्व हेतु सार्वजनिक स्थलों हेतु भूमि उपलब्ध करवानी होगी। ब्यावर शहर के विस्तार की संभावना का निर्धारण करते समय वर्तमान भौतिक विशेषताओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक कार्य उद्देश्य हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन किया गया है।

ब्यावर शहर के उत्तर–पश्चिम में दिल्ली–मुम्बई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन तथा जालियॉ नदी है। अतः इस ओर विस्तार की संभावनायें सीमित है। वर्तमान प्रवृतियों के दृष्टिगत शहर का विकास पूर्व–दक्षिण एवं पश्चिम–दक्षिण दिशा में अधिक होने की सम्भावनायें है। उत्तर–पश्चिम में भी विकास प्रस्तावित किया गया है। शहर की अनुमानित जनसंख्या (2,40,000) को उचित आधार पर बसाने और इसी के अनुरूप समुचित अनुपात में कार्य केन्द्रों, आवासीय क्षेत्रों, व्यावसायिक केन्द्रों, सामुदायिक केन्द्रों, आमोद–प्रमोद स्थल आदि गतिविधियों का प्रावधान करते हुये इन्हें उपयुक्त एवं सुविधाजनक परिसंचरण व्यवस्था के नेटवर्क से जोड़ने हेतु यह अनुमान लगाया गया है कि विभिन्न भू–उपयोगों हेतु लगभग 4208 हैक्टर भूमि की नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के लिये आवश्यकता होगी। जनसंख्या घनत्व लगभग 57 व्यक्ति प्रति हैक्टर रहेगा।

4.5 प्रस्तावित योजना क्षेत्र :

भविष्य में होने वाले विकास की दृष्टि से ब्यावर शहर के नगरीय क्षेत्र को पांच योजना क्षेत्रों में विभक्त किया गया है। योजना क्षेत्रों का निर्धारण करते समय वर्तमान प्रणाली, भौतिक अवरोध, आर्थिक गतिविधियां एवं विभिन्न क्षेत्रों के पारस्परिक कार्य सम्बन्धों को ध्यान में रखा गया है। पुराना शहर एवं परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्रों के अलावा प्रत्येक योजना क्षेत्र, आवास, रोजगार, व्यवसाय, आमोद–प्रमोद एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर होंगे। पुराना शहर सघन आबादी क्षेत्र होने के कारण इस क्षेत्र की आमोद–प्रमोद, खुले स्थलों एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं की कमी पास के क्षेत्रों द्वारा पूरी की जायेगी।

योजना क्षेत्रों को क्षेत्रफल सहित निम्न तालिका संख्या 18 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या – 18

प्रस्तावित योजना क्षेत्र – ब्यावर–2031

क्रम संख्या	योजना क्षेत्र	क्षेत्रफल (हैक्टर में)	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	(अ) नया नगर योजना क्षेत्र	1088.00	22.38
2.	(ब) बन्दनवाडा रोड़ योजना क्षेत्र	979.00	20.13
3.	(स) महालक्ष्मी मिल योजना क्षेत्र	795.00	16.34
4.	(द) एस.डी. कॉलेज योजना क्षेत्र	1002.00	20.60
5.	(य) हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र	1000.00	20.55
	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र (Urbanisable Area)	4864.00	100.00
6.	(र) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र (Peripherial Control Belt Zone))	8055.00	
	कुल अधिसूचित नगरीय क्षेत्र : (Notified Urban Area)	**12919**	

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा आकंलन

प्रत्येक योजना क्षेत्र की सीमाओं को नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर दर्शाया गया है, जिसमें जिला, तहसील एवं राजस्व ग्रामों की सीमायें, विद्यमान नगरीयकृत क्षेत्र–2011 तथा प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र–2031 दर्शाये गये है। अन्तिम योजना क्षेत्र परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र दर्शाता है।

(अ) नया नगर योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में परकोटे के अन्दर का सम्पूर्ण शहर तथा इसके बाहर पूर्व में बन्दनवाडा रोड़ तथा दक्षिण में उदयपुर रोड़ तक का क्षेत्र है। यह बान्दनवाडा को जाने वाली मुख्य जिला सड़क–57 से उत्तर में बलाड नाले से रेलवे लाइन तक तथा दक्षिण में (राष्ट्रीय राजमार्ग–8) उदयपुर को जाने वाले मार्ग के पश्चिमी भाग तक का क्षेत्र है। इस योजना क्षेत्र के उत्तर में बलाड नाला है तथा पश्चिम में रेलवे लाइन तथा दक्षिण में रा.रा. मार्ग–8 एवं पूर्व में मुख्य जिला सड़क–57 स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्य तालाब, बिचडली तालाब एवं सेन्दरिया टैंक है तथा यहां मंडी, स्टेडियम स्थित है। इस क्षेत्र में राजकीय कार्यालयों हेतु भूमि, ट्रक टर्मिनल, बस स्टेन्ड, एवं गोदाम तथा आवासीय भू–उपयोग प्रस्तावित किये गये है। इसका कुल क्षेत्रफल 1088.00 हैक्टर है।

(ब) बान्दनवाडा रोड योजना क्षेत्र :

यह क्षेत्र मुख्य जिला सड़क–57 के उत्तर में तथा पश्चिम में रेलवे लाइन तथा दक्षिण में बलाड़ नाला एवं पूर्व में वर्तमान बाईपास के मध्य का भाग है। उत्तर में वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र स्थित है तथा एक ट्रक स्टेन्ड प्रस्तावित है। यह क्षेत्र पूर्णतः विकसित है। रिक्त स्थलों में आवासीय एवं पार्क आदि प्रस्तावित किये गये है। इस क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 979.00 हैक्टर है।

(स) महालक्ष्मी मिल योजना क्षेत्र :

यह योजना क्षेत्र दिल्ली–अहमदाबाद रेलवे लाइन के पश्चिम में स्थित है। इस योजना क्षेत्र की सीमा दक्षिण में रिंग रोड़, पश्चिम में प्रस्तावित रिंग रोड़ व उत्तर में ग्राम मेडिया नगर को सम्मिलित करते हुये पूर्व में जालिया नदी के साथ–साथ रेलवे लाइन तक है। इस क्षेत्र में ब्यावर की प्रसिद्ध महालक्ष्मी मिल स्थित है। रेलवे लाइन एवं

जालिया नदी इस क्षेत्र के विकास में रूकावट रही है। वर्तमान में नून्द्री मालदेव एवं मेंडीया नगर ग्रामों के विकसित हो जाने से इस क्षेत्र में भी भविष्य में और विकास की संभावनायें हैं। इस योजना क्षेत्र में यातायात की सुगमता हेतु एक रिंग रोड़ प्रस्तावित की गई है जो पाली/जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–14 को उत्तर में प्रस्तावित बाईपास से मिलती है। इस क्षेत्र में आवासीय भू–उपयोग के साथ–साथ एक चिकित्सालय, एक महाविद्यालय, वाणिज्यिक क्षेत्र, पार्क एवं जालिया नदी के किनारे खुले स्थल/पार्क प्रस्तावित किये गये है। जालिया नदी के साथ–साथ एक सड़क भी प्रस्तावित की गई है। इस योजना का क्षेत्रफल 795.00 हैक्टर है।

(द) एस.डी.कॉलेज योजना क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र के उत्तर में रेलवे लाइन व पूर्व में मुख्य जिला सड़क–84 है पश्चिम में पाली/जोधपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–14 पर पाली जिले की सीमा तथा दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 पर केन्द्रीय विद्यालय के सामने की आबादी को सम्मिलित करते हुए तक का क्षेत्र है।

इस योजना क्षेत्र में ब्यावर का प्रसिद्ध एस.डी. कॉलेज स्थित है। इस क्षेत्र में मुख्यतः आवासीय पार्क, वाणिज्यिक एवं अन्य सामुदायिक सुविधाओं हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। इस योजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 1002.00 हैक्टर है।

(य) हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र :

इस योजना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 का बाई पास पर बाहर की तरफ 500 मीटर ग्राम गढ़ी थोरियान से प्रारम्भ होकर दक्षिण में नगरीय क्षेत्र सीमा तक व उत्तर मे रिंग रोड़ के बाहर दोनो तरफ 500 मीटर की हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग–14 के पश्चिम में ग्राम रामसर बलाईयान से प्रारम्भ होकर नगरीय क्षेत्र सीमा तक का क्षेत्र है। इस गलियारे में जेल, स्टेडियम, राजकीय कार्यालय व वर्तमान में जो आवासीय क्षेत्र विकसित है को यथावत रखते हुए निम्न उपयोग निर्धारित मानदंडो के अनुरूप आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जा सकेगे। इसका कुल क्षेत्रफल 1000.00 हैक्टर है।

(र) परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र :

मास्टर प्लान के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर अधिसूचित नगरीय क्षेत्र सीमा तक परिधि नियंत्रण पट्टी का प्रावधान किया गया है। इस पट्टी का कुल क्षेत्रफल 8055.00 हैक्टर है। परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित करने से पूर्व नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के फैलाव की सीमा का निर्धारण वर्ष 2031 तक की आवश्यकताओं, समुचित घनत्व एवं एकीकृत विकास की अवधारणा को दृष्टिगत रखते हुए विस्तृत तकनीकी अध्ययन के पश्चात् किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र की सीमा निर्धारण के पश्चात् इसका असंगत रूप से फैलाव को नियंत्रित करने की दृष्टि से इसके चारों तरफ परिधि नियंत्रण पट्टी प्रस्तावित की गई है, यह क्षेत्र ग्रामीण प्रकृति का होगा और यहां पर भूमि का उपयोग कृषि, जगंलात, बागवानी, उद्यान एवं इनसे सम्बन्धित उपभोगों हेतु किया जा सकेगा।

5

भू–उपयोग योजना

ब्यावर नगरीय क्षेत्र में भावी विकास की दिशा प्रदान करना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। यह प्लान विभिन्न भौतिक एवं सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षणों, अध्ययनों, वर्तमान विकास प्रवृति, वृद्धि दर की प्रवृति, आर्थिक संरचना, यातायात व्यवस्था एवं शहर के वांछित विकास की दिशा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मास्टर प्लान का उद्देश्य शहर का संतुलित एवं समन्वित विकास करना है। इसके साथ–साथ यहाँ के निवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है। अतः मास्टर प्लान नगर के भावी नियोजित विकास के लिये मार्गदर्शक का कार्य करेगा।

क्षितिज वर्ष 2031 के लिये प्रस्तावित भू–उपयोग योजना हेतु उपयुक्त घनत्व मानदंड़ का आंकलन कर विभिन्न उपयोगों हेतु क्षेत्रफल प्रस्तावित किया गया है। वर्ष 2031 की अनुमानित जनसंख्या 2,40,000 व्यक्तियों की आवश्यकताओं हेतु 4805.00 हैक्टर विकास योग्य क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है तथा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 4864.00 हैक्टर प्रस्तावित है। विकास योग्य क्षेत्र कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का 98.75 प्रतिशत है। उक्त 4805.00 हैक्टर विकास योग्य क्षेत्र का 44.21 प्रतिशत आवासीय, 3.91 प्रतिशत वाणिज्यिक, 5.74 प्रतिशत औद्योगिक, 1.41 प्रतिशत सरकारी एवं अर्द्ध–सरकारी कार्यालय हेतु, 4.84 प्रतिशत आमोद–प्रमोद, 6.00 प्रतिशत सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं 13.10 प्रतिशत परिसंचरण एवं 20.79 प्रतिशत हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र हेतु प्रस्तावित किया गया है। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में कृषि बागान, गौशाला, जलाशय एवं नाले इत्यादि के अन्तर्गत 59.00 हैक्टर भूमि है, तथा कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र 4864 हैक्टर प्रस्तावित है । वर्ष 2031 के प्रस्तावित भू–उपयोग को निम्नलिखित तालिका संख्या–19 में दर्शाया गया हैः–

तालिका संख्या– 19

प्रस्तावित भू–उपयोग – ब्यावर – 2031

क्र.सं.	भू–उपयोग	क्षेत्रफल (हैक्टर)	विकास योग्य क्षेत्र का प्रतिशत	नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का प्रतिशत
1.	आवासीय	2120.00	44.21	43.58
2.	वाणिज्यिक	188.00	3.91	3.86
3.	औद्योगिक	276.00	5.74	5.67
4.	राजकीय एवं अर्द्धराजकीय	68.00	1.41	1.39
5.	आमोद–प्रमोद	233.00	4.84	4.79
6.	सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक	289.00	6.00	5.94
7.	परिसंचरण	631.00	13.10	12.97
8.	हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र	1000.00	20.79	20.55
	कुल विकास योग्य क्षेत्र	**4805.00**	**100.00**	**98.75**
8.	डेयरी, गौशाला	5.00	–	0.12
9.	जलाशय, नाले आदि	54.00	–	1.13
	कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र	**4864.00**	**–**	**100.00**

5.1 आवासीय :

आधार वर्ष 2011 में ब्यावर में विकसित क्षेत्र का 34.78 प्रतिशत अर्थात 424.55 हैक्टर क्षेत्र आवासीय प्रयोजनार्थ था तथा आवासीय घनत्व लगभग 344 व्यक्ति प्रति हैक्टर था। उक्त घनत्व को क्षितिज वर्ष 2031 तक औसत 100 व्यक्ति प्रति हैक्टर किया जाना प्रस्तावित है। उक्त घनत्वानुसार वर्ष 2031 तक आवासीय प्रयोजनार्थ लगभग 2120.00 हैक्टर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 44. 21 प्रतिशत है। शहर के भीतरी आबादी वाले क्षेत्र जो परकोटे के अन्दर एवं उसके आसपास का क्षेत्र है तथा कार्य स्थलों के पास के क्षेत्रो में तुलनात्मक दृष्टि से अधिक घनत्व रहने की संभावना है। प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के लिये तीन प्रकार के आवासीय घनत्व क्रमशः कम घनत्व (Low Density) 100 व्यक्ति प्रति हैक्टर, मध्यम घनत्व (Medium Density) 101 से 200 व्यक्ति प्रति हैक्टर तथा उच्च धनत्व(High Density) 201 से अधिक व्यक्ति प्रति हैक्टर प्रस्तावित किये गये हैं। शहर के बाहरी नव विकसित क्षेत्रों में कम घनत्व रहने का अनुमान है। विभिन्न योजना क्षेत्रों में सेक्टर स्तर पर सामुदायिक सुविधायें, शैक्षणिक व चिकित्सा सुविधाओं एवं व्यावसायिक गतिविधियों आदि हेतु पर्याप्त स्थल प्रस्तावित किये गये हैं। स्थानीय स्तर पर विभिन्न सुविधाओं यथा पार्क, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, स्थानीय बाजार तथा सड़के आदि का प्रावधान आवासीय क्षेत्रों में विस्तृत आवासीय योजना तैयार करते समय किया जावेगा।

ब्यावर में छः कच्ची बस्तियॉ भी बसी हुई है। इस क्षेत्र में सभी मूलभूत आवश्यकताओं की समुचित व्यवस्था के साथ पर्यावरण सुधार कार्यक्रमों के अन्तर्गत सुधार को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक है। भविष्य में कच्ची बस्तियो व अनियोजित विकास को हतोत्साहित करने हेतु स्थानीय निकायो को ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। रीको द्वारा भी औद्योगिक श्रमिको के लिये आवायीय योजना का प्रावधान किया जाये ताकि औद्योगिक क्षेत्रों के समीप कच्ची बस्तियों के अस्थाई निवास व अतिक्रमण को रोका जा सके।

5.2 वाणिज्यिक :

ब्यावर, अजमेर जिले का मुख्य व्यावसायिक केन्द्र है। यहां मुख्यतः ऊन, अनाजं एवं कपड़े का थोक व्यापार होता है। यहां की ''तिलपट्टी'' बहुत प्रसिद्ध है। ब्यावर राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं 14 तथा राज्य राजमार्ग 39 एवं 59 तथा मुख्य जिला सड़क–57 एवं 84 पर स्थित है तथा दिल्ली–मुम्बई ब्रोड गेज रेलवे लाईन भी यहां से गुजरती है। इस प्रकार यह राज्य एवं देश के लगभग सभी शहरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। इससे यहां की वाणिज्यिक गतिविधियों को काफी प्रोत्साहन मिला है तथा इनका विकास भी तेजी से हुआ है। ब्यावर, आस–पास के क्षेत्र की वाणिज्यिक गतिविधियों का प्रमुख केन्द्र बना रहेगा।

यह अनुमान है की वर्ष 2031 तक कुल जनसंख्या का लगभग 36.00 प्रतिशत कुल कार्यशील व्यक्ति होगें जो विभिन्न क्रियाकलापों, जैसे व्यावसायिक, औद्योगिक, परिसंचरण आदि में कार्यरत होगें।

वर्तमान में विभिन्न वाणिज्यिक गतिविधिंयों के अन्तर्गत 90.00 हैक्टर भूमि है। क्षितिज वर्ष 2031 तक इन गतिविधियों हेतु कुल 188.00 हैक्टर भूमि का प्रावधान किया गया है जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 3.91 प्रतिशत है तथा कुल नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का 3.86 प्रतिशत है। वाणिज्यिक गतिविधियों के सुचारू रूप से संचालन हेतु कुल क्षेत्र को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। वर्ष 2031 के प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियो को निम्नलिखित तालिका संख्या–20 में दर्शाया गया है :–

तलिका संख्या–20

प्रस्तावित व्यावसायिक गतिविधियाँ –ब्यावर–2031

क्रंम संख्या	गतिविधियां	संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	वाणिज्यिक केन्द्र	23	38.00
2.	स्थानीय व्यावसायिक क्षेत्रं	यथोचित स्थान पर	79.20
3.	मंडी एवं थोक व्यापार	2	55.00
4.	गोदाम एवं भण्डारण	1	15.80
		कुल	**188.00**

5.2 (1) विद्यमान शहरी केन्द्र एवं वाणिज्यिक गतिविधियां :

ब्यावर में आन्तरिक एवं मुख्य मार्गों पर विद्यमान वाणिज्यिक गतिविधियां यहां के दैनिक वाणिज्यिक क्रियाकलापों का एक मुख्य आधार है। इस सघन विकसित क्षेत्र में और अधिक विस्तार की सम्भावनायें नहीं है। अतः यह पुराने शहर हेतु मुख्य वाणिज्यिक केन्द्र के रूप में यथावत कार्य करता रहेगा। विभिन्न आवासीय क्षेत्रों में भी नये वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं जिससे इस सघन व्यावसायिक क्षेत्र में गतिविधियों के विकेन्द्रीकरण होने से इस क्षेत्र पर दबाव कम हो जायेगा। वर्तमान में उक्त गतिविधियां लगभग 90.00 हैक्टर क्षेत्र में संचालित हो रही है।

5.2 (2) प्रस्तावित व्यावसायिक केन्द्र एवं गतिविधियां :

ब्यावर में भविष्य में वाणिज्यिक गतिविधियों/सुविधाओं हेतु विभिन्न स्थलों पर 23 व्यावसायिक केन्द्र (Commercial Centre) प्रस्तावित किये गये है, जिनका क्षेत्रफल कुल 38.00 हैक्टर है। इन केन्द्रों में सामूहिक रूप से खुदरा दुकानें, रेस्टोरेंट सिनेमाघर आदि का प्रावधान रखा गया है। मुख्य मार्ग से लगते हुये स्थलों पर स्थानीय खुदरा बाजारों का प्रावधान रखा गया है, इन्हें विभिन्न स्थलों पर मुख्य सड़क के सहारे प्रस्तावित किये गये है। इनके अन्तर्गत कुल 79.20 हैक्टर क्षेत्र है।

5.2 (3) थोक व्यापार :

ब्यावर शहर में मुख्य जिला सड़क – 84 पर एक अनाज मंडी स्थित है जिसका क्षेत्रफल 31.38 हैक्टर है। इसके उत्तर में एक फल सब्जी मंडी स्थित है जिसका क्षेत्रफल 2.50 हैक्टर है। भविष्य की आवश्यकताओं हेतु थोक व्यापार हेतु 21.12 हैक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा यह रा.रा. मार्ग संख्या – 8 पर प्रस्तावित बाईपास के पास व प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के पास है।

5.2 (4) गोदाम एवं भण्डारण :

ब्यावर के दक्षिण में एक भण्डारण पहले से ही स्थित है। भविष्य की आवश्यकतानुसार एक गोदाम एवं भण्डारण प्रस्तावित बाईपास व रा.रा.मार्ग संख्या – 8 पर प्रस्तावित किया गया है। इस उपयोग हेतु कुल 15.80 हैक्टर का क्षेत्र है।

5.3 औद्योगिक :

ब्यावर में वर्तमान में औद्योगिक के अन्तर्गत कुल 144.75 हैक्टर क्षेत्र है। इसमें से रींको द्वारा विकसित क्षेत्र, लक्ष्मी मिल का क्षेत्र एवं छितराये हुये उद्योगों का क्षेत्र सम्मिलित है।

भविष्य में ब्यावर में ओर भी औद्योगिक विकास होने की संभावना है। रीको द्वारा विकसित क्षेत्र एवं वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र के अतिरिक्त एक अतिरिक्त औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। वर्तमान में शहर में विभिन्न आवासीय क्षेत्रो मे छोटी– छोटी औद्योगिक इकाईयां कार्यरत है। कलान्तर में इन्हें प्रदूषण एवं यातायात की द्रष्टि से छितराये हुये क्षेत्र से हटा कर प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में स्थानान्तरित किये जाने का प्रस्ताव है। इसी प्रकार शहर के सघनतम आवासीय क्षैत्र में जो भी ईंट–भट्टें कार्यरत है उन्हें भी उक्त क्षेत्र से हटा कर हरित पट्टी क्षेत्र में स्थानान्तरित करना प्रस्तावित है। अतः भू–उपयोग योजना–2031 में ईंट भट्टों को शहर के आबादी वाले क्षेत्र में से हटा दिया गया है। वर्ष 2031 के औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग के विवरण को निम्नलिखित तालिका संख्या–21 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–21

औद्योगिक गतिविधियों के भू–उपयोग का विवरण–ब्यावर–2031

क्रम संख्या	औद्योगिक क्षेत्र		क्षेत्रफल (हैक्टर में)
1.	<u>विद्यमान</u> विद्यमान औद्योगिक क्षेत्र : उत्तर में रीको विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं रेलवे लाइन के मध्य का क्षेत्र तथा रा.रा. मार्ग–8 के बाईपास व रा.रा. मार्ग 8 के मध्य का क्षेत्र तथा लक्ष्मी मिल एवं अन्य औद्योगिक इकाइयां		124.00
2.	<u>प्रस्तावित</u> (i) उत्तरी–पूर्व औद्योगिक क्षेत्र	वर्तमान रा.रा. मार्ग–8 के बाईपास एवं रेलवे लाईन व प्रस्तावित बाईपास के मध्य	152.00
		कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित)	**276.00**

5.4 राजकीय एवं अर्द्धराजकीय :

वर्तमान में ब्यावर, अजमेर जिले का तहसील व उपखण्ड मुख्यालय है। यहां राज्य एवं केन्द्र सरकार के अधिकतर कार्यालय स्थित है। भविष्य में यहां ओर भी प्रशासनिक इकाईयाँ स्थापित होने की सम्भावनायें है। वर्तमान में राजकीय कार्यालय मुख्यतः बस स्टेन्ड के सामने रा.रा. मार्ग–14 पर तथा अजमेरी गेट के सामने तहसील एवं सिचाई विभाग आदि का कार्यालय स्थित है। वर्तमान में राजकीय कार्यालयों के अन्तर्गत 13.00 हैक्टर क्षेत्र है। क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये लगभग 47.00 हैक्टर अतिरिक्त क्षेत्र प्रस्तावित किया गया हैं, जिनका विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या–22 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–22

राजकीय प्रयोजनार्थ भू–उपयोग का विवरण, ब्यावर–2031

क्रम संख्या	राजकीय व अर्द्धराजकीय कार्यालय स्थिति	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	<u>विद्यमान</u> राष्ट्रीय राजमार्ग–14 पर एवं अजमेरी गेट के सामने	13.00
2.	<u>प्रस्तावित</u> (अ) उत्तर–पश्चिम में जालिया नदी के समीप	14.00
	(ब) दक्षिण में वर्तमान कारागृह के पास विजय नगर रोड़ पर	12.00
	(स) उत्तर –पूर्व में प्रस्तावित पार्क व औद्योगिक क्षेत्र के समीप	13.00
	(द) उत्तर में वर्तमान श्री सीमेंन्ट रेलवे लाईन के समीप व रा.रा. मार्ग –8 पर	16.00
	योग	**55.00**
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित)	**68.00**

भविष्य में ब्यावर के जिला बनने की सम्भावनाओं को देखते हुए दक्षिण में वर्तमान मंडी के पास प्रस्तावित क्षेत्र में मिनि सचिवालय का निर्माण किया जा सकता है। अन्य प्रस्तावित स्थलों पर भी नये आने वाले कार्यालय स्थापित किये जा सकते हैं तथा वर्तमान कार्यालयों जिसमें स्थान की कमी है अथवा निजी भवनों में स्थित है, को भी यहां स्थानान्तरित किये जा सकते हैं।

5.5 आमोद–प्रमोद :

ब्यावर में जनसंख्या के अनुपात में आमोद–प्रमोद की सुविधाओं की कमी रही है। आधार वर्ष 2011 में आमोद–प्रमोद के लिये खुले स्थल एवं उद्यानों के अन्तर्गतं केवल 8.85 हैक्टर क्षेत्र था जो कुल विकसित क्षेत्र का 0.73 प्रतिशत था।

क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिये आमोद–प्रमोद हेतु वर्तमान क्षेत्र सहित कुल 233.00 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकसित क्षेत्र का 4.84 प्रतिशत है। मास्टर प्लान में आमोद–प्रमोद की सुविधाओं के अभाव को समाप्त करने का प्रयास किया गया है। प्रत्येक योजना क्षेत्र में उद्यानों का प्रस्ताव किया गया है, ताकि स्थानीय लोगों को खुले स्थल उपलब्ध हो सके।

5.5 (1) उद्यान, स्टेडियम एवं मेला स्थल :

सार्वजनिक पार्क एवं खुले स्थल नगर के फेफड़े होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा नगर के निवासियों के सामाजिक एवं भौतिक स्वास्थ्य की झलक दिखाई देती है। यहां कोई स्टेडियम नहीं है एवं मेला स्थल भी अलग से नहीं है। वर्तमान में मेले मिशन स्कूल कम्पाउण्ड में तथा उत्तर में मेंडिया टैंक के पास डूंगरी माता का मेला लगता है जो नवरात्रों में सम्पन्न होता है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए एक स्टेडियम विजय नगर को जाने वाले मार्ग पर स्थित जेल के उत्तर में 8.00 हैक्टर क्षेत्र में प्रस्तावित किया गया है तथा दूसरा उत्तर में राज्य राजमार्ग–39 पर शोभापुर ग्राम के समीप प्रस्तावित है इसका क्षेत्रफल 11.00 हैक्टर है। एक मेला स्थल उत्तर में मेंडिया ग्राम व माता जी डूंगरी के पास प्रस्तावित किया गया है। सभी योजना क्षेत्र में पार्क प्रस्तावित किये गये है, जिनका कुल क्षेत्रफल 214.00 हैक्टर है, जो भविष्य की आबादी हेतु पर्याप्त है। इनके अतिरिक्त आवासीय क्षेत्रों की विस्तृत योजनायें बनाते समय भी समुचित भूमि पार्कों हेतु प्रस्तावित रखी जायेगी। जालिया नदी के सरंक्षण हेतु नदी के दोनों किनारे से 30 मी. चौडी खुली पट्टी एवं मुख्य नालो के दोनो ओर 15 मी. कि खुली पट्टी रखी गई है।

अर्द्ध सार्वजनिक मनोरंजन के अन्तर्गत यहां तीन क्लब वर्तमान में ब्यावर क्लब, रोटरी क्लब व लायन्स क्लब है, जो भविष्य की आवश्यकताओं हेतु पर्याप्त है।

5.6 सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधायें :

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत शैक्षणिक, चिकित्सा, अन्य सामुदायिक सुविधायें, सामाजिक–सांस्कृतिक, धार्मिक/ऐतिहासिक स्थल, जनोपयोगी सुविधायें जैसे जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जल–मल निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा श्मशान एवं कब्रिस्तान आदि सुविधाऐं सम्मिलित है। ब्यावर में जनसंख्या में तीव्र गति से

वृद्धि हुई परंतु सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्षेत्र का विकास एवं विस्तार नहीं होने से वर्तमान में ये सुविधायें अपर्याप्त है। इन समस्त सुविधाओं को शहर के निवासियों को उपलब्ध करवाना मास्टर प्लान का मुख्य उद्देश्य है। क्षितिज वर्ष 2031 तक सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत 289.00 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है, जो कुल विकास योग्य क्षेत्र का 6.00 प्रतिशत तथा नगरीयकरण योग्य क्षेत्र का 5.94 प्रतिशत है। विभिन्न सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के अन्तर्गत कुल क्षेत्रफल निम्नलिखित तालिका संख्या–23 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–23

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाओं के भू–उपयोग का विवरण, ब्यावर–2031

क्रम संख्या	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सुविधाऐं	क्षेत्रफल (हैक्टर)		
		विद्यमान	प्रस्तावित	कुल
1.	शैक्षणिक सुविधाऐं	61.00	56.50	117.50
2.	चिकित्सा सुविधाऐं	9.00	40.00	49.00
3.	अन्य सामुदायिक सुविधाऐं	30.00	73.00	44.00
4.	जनोपयोगी सुविधाऐं	22.00	49.00	71.00
5.	शमशान व कब्रिस्तान	7.50	–	7.50
	कुल	**129.50**	**218.50**	**289.00**

5.6 (1) शैक्षणिक सुविधायें :

वर्तमान में ब्यावर में 5 महाविद्यालय है जिनमें से 2 राजकीय व 3 निजी क्षेत्र में, 7 तकनीकी शिक्षण संस्थायें हैं जिनमें से 6 निजी क्षेत्र एवं 1 राजकीय है, 4 नर्सिंग कॉलेज, 13 उच्च माध्यमिक विद्यालय, 15 माध्यमिक स्तर के विद्यालय, 19 उच्च प्राथमिक विद्यालय व 107 आगंनबाडी केन्द्र स्थित है। इस प्रकार शैक्षणिक सुविधाओं हेतु कुल 61.00 हैक्टर क्षेत्र है। शहर में वर्तमान जनसंख्या हेतु पर्याप्त विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माध्यमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय है।

ब्यावर के भावी शैक्षणिक आवश्यकताओं हेतु 7 महाविद्यालय, 10 उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रस्तावित किये गये है। इनका प्रस्तावित क्षैत्रफल 56.50 हैक्टर है। शैक्षणिक सुविधाओं का विवरण निम्नलिखित तालिका संख्या–24 में दर्शाया गया है :–

तलिका संख्या–24

प्रस्तावित शैक्षणिक सुविधायें – ब्यावर – 2031

क्रम संख्या	सुविधा	स्थलों की संख्या	क्षेत्रफल (हैक्टर)
1.	महाविद्यालय	7	36.50
2.	उच्च माध्यमिक विद्यालय	10	20.00
	कुल	**17**	**56.50**

स्त्रोत : सलाहकार द्वारा प्रस्तावित

5.6 (2) चिकित्सा सुविधायें :

वर्तमान में यहाँ 305 शैय्याओं युक्त राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय है, तथा 9 अन्य राजकीयं चिकित्सालय है। जिनका कुल क्षेत्रफल 9.00 हैक्टर है। भविष्य की आवश्यकताओं हेतु 14 विभिन्न स्थलों पर चिकित्सा सुविधा केन्द्र प्रस्तावित किये गये है, राजकीय अमृतकौर चिकित्सालय का विस्तार करने के लिए वर्तमान पशु चिकित्सालय जो इसके समीप शहर के भीतरी भाग में स्थित है, उसको इस चिकित्सालय में जोड़ने हेतु प्रस्तावित कर दिया गया है तथा एक पशु कॉलेज व चिकित्सालय, राज्य राजमार्ग–39 पर शोभापुरा ग्राम के समीप 7.50 हैक्टर में प्रस्तावित कर दिया गया है। व दुसरा गढ़ीथोरीयान गांव के समीप NH-8 पर प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार चिकित्सा सुविधा के अर्न्तगत, वेटेनरी सहित, कुल 49.00 हैक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है।

5.6.(3) अन्य सामुदायिक सुविधायें :

ब्यावर में नगर परिषद् के सामने लायन्स गार्डन में एक प्राचीन पुस्तकालय है, विभिन्न समाजों की धर्मशालायें है। एक मुख्य डाकघर है तथा 6 अन्य डाकघर है, राष्ट्रीयकृत बैंक, ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, अग्निशमनं केन्द्र, पुलिस थाना आदि स्थित है। जिनका क्षेत्रफल 30.00 हैक्टर है ।

भविष्य की आवश्यकतानुसार अनेक नये क्षेत्र विकसित किये जाने प्रस्तावित है जिनमें भी उक्त सुविधाओं हेतु स्थल निर्धारित किये गये है। सुविधानुसार कुल 28 स्थल विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक सुविधाओं हेतु प्रस्तावित किये गये है जिनका कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 44.00 हैक्टर है।

5.6.(4) जनोपयोगी सुविधायें :

जल आपूर्ति, जल मल निकास तथा उचित नालियों की व्यवस्था एवं समुचित विद्युत आपूर्ति, नगरीय जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकताएँ हैं। उपयुक्त जलापूर्ति के अभाव में किसी भी नगर के निवासियों का जीवनयापन संभव नहीं हैं। इसी प्रकार गन्दे जल व मल के निकास तथा नालियों के अभाव में स्वच्छ वातावरण नहीं बन सकता है। भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए इन सुविधाओं हेतु 22.00 हैक्टर क्षेत्र वर्तमान 49.00 हैक्टर के अतिरिक्त प्रस्तावित किया गया है। इस सुविधा हेतु कुल 71.00 हैक्टर क्षेत्र वर्ष 2031 तक उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित है। यह क्षेत्र विभिन्न स्थलो पर प्रस्तावित किये गयें।

5.6(4) (अ) जलापूर्ति :

ब्यावर में जलापूर्ति बीसलपुर बांध जो ब्यावर से 151.60 किमी. की दूरी पर है एवं ट्यूब वैलों द्वारा की जाती है। पानी की दैनिक आपूर्ति 18 MLD है तथा वर्तमान में आपूर्ति प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन लगभग 107 लीटर है, जिसे बढ़ाकर लगभग 155 लीटर प्रति व्यक्ति किये जाने की आवश्यकता है, यह प्रस्तावित आपूर्ति वाटर मैनूयल के नये ऐडिशन के अनुसार है।

इस हेतु बीसलपुर से पानी की आपूर्ति और बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। इस सम्बधं मे जलदाय विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है।

5.6(4) (ब) जल–मल निकास एवं ठोस कचरा निस्तारण एंव प्रबन्धन :

ब्यावर में जल–मल निकास हेतु कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। शहर में नालियां खुली व अनुपयुक्त होने के कारण वर्षा ऋतु में पानी प्रायः सड़कों पर इकट्ठा हो जाता है। आसपास के निचले इलाकों में यह पानी भरा रहता है। शहर में सीवरेज लाइन भी नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि शहर के लिये एक विस्तृत सीवरेज व्यवस्था की योजना तैयार करवाकर क्रियान्वित की जावे। सीवरेज हेतु भौगोलिक स्थिति एवं ढलान

को दृष्टिगत रखते हुए परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा सीवरेज परिशोधन यंत्र (STP) लगाया जाना उचित होगा ताकि भविष्य में शहरों को प्रदूषण से बचाया जा सके।

ठोस कचरे के निस्तारण हेतु उत्तर–पश्चिम में राज्य राजमार्ग–39 पर पहाड़ियों के पास इस हेतु नगर परिषद द्वारा स्थल चिन्हित किया गया है। यहां वैज्ञानिक तरीके से कचरे का पृथक्कीकरण कर इसके रिसाईकिल व निस्तारण हेतु योजना बनाई जाना प्रस्तावित है। पानी के सप्लाई हेतु UIDSSMT प्रोजेक्ट के अन्तर्गत एक प्रतिवेदन तैयार करवाया गया है जिसका क्रियान्वयन नगर परिषद् द्वारा करवाया जा रहा है। इसी प्रकार जल–मल निकास हेतु भी उक्त योजना में प्रतिवेदन तैयार करवाया जाकर उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक है।

5.6 (4) (स) विद्युत आपूर्ति :

ब्यावर में विद्युत आपूर्ति एवं वितरण अजमेर विद्युत वितरण निगम द्वारा किया जाता है। विद्युत आपूर्ति चम्बल पावर स्टेशन, कोटा तथा एटोमिक पावर स्टेशन के द्वारा उत्पन्न विद्युत से किया जाता है। निगम का ग्रिड स्टेशन उत्तर में अजमेर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–8 के पास स्थित है, इस सब–स्टेशन में विद्युत आपूर्ति मुख्य सब–स्टेशन से होती है जो मदार, अजमेर में स्थित है। वर्ष 2031 में अनुमानित जनसंख्या 2.40 लाख व्यक्तियों के लिये समुचित विद्युत आपूर्ति के लिये विद्युत निगम को विस्तार से योजना बनाने की आवश्यकता है। अतः विभाग द्वारा प्रस्तावित भू–उपयोग योजना के अनुसारं विद्युत आपूर्ति हेतु योजना बनाई जाना प्रस्तावित है।

5.6 (5) श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान :

वर्तमान में स्थित श्मशान/कब्रिस्तानों को यथावत रखा गया है। वे स्थल जो आबादी के आसपास एवं बीच में आ गये है, उनके चारों ओर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित किया गया है तथा आसपास पार्क हेतु स्थल प्रस्तावित किये गये है। नये श्मशान व कब्रिस्तान, आवश्यकतानुसार, परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थापित किये जा सकेगें।

5.7 परिसंचरण

ब्यावर, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 (दिल्ली–मुम्बई) एवं राष्ट्रीय राजमार्ग संख्यां–14 (ब्यावर–सिरोही–पालनपुर (गुजरात)) तथा राज्य राजमार्ग–39 एवं मुख्य जिला सड़क–57 एवं 84 पर स्थित है तथा दिल्ली–मुम्बई ब्रोड गेज रेलवे लाइन का प्रमुख स्टेशन है। राज्य राजमार्ग–39, ब्यावर को शांहपुरा, विजयनगर, मेडतासिटी आदि से जोड़ता है तथा राज्य राजमार्ग–59 द्वारा यह नीमला जोधा वाया पीसागन, गोविन्दगढ़, लाडपुरा, डेगाना, खाटू आदि से जुड़ा हुआ है। मुख्य जिला सड़क–57 ब्यावर से बान्दनवाड़ा तक जाती है तथा मुख्य जिला सड़क–84 ब्यावर से हरिपुर चौराहा वाया आसिन्द व पारली तक जाती है। इस प्रकार ब्यावर देश एवं राज्य के विभिन्न नगरों से भली–भांति जुड़ा हुआ है। मुख्य जिला सड़क–84 शहर के मध्य से गुजरती है।

वर्तमान में ब्यावर में परिसंचरण हेतु कुल 410.00 हैक्टर का क्षेत्र है, भविष्य में वर्ष 2031 में इस उपयोग के लिए 631.00 हैक्टर का कुल क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। इस क्षेत्र में वर्तमान में स्थित सड़क एवं बाह्य मार्ग बस स्टेण्ड, विभिन्न दिशाओं में दो नये बस स्टेण्ड व एक ट्रक टर्मिनस ठिकराना गुजरान में प्रस्तावित किया गया है। इनके अतिरिक्त नये विकसित किये जा रहे विभिन्न कार्यस्थलों व आवासीय स्थलों को जोड़ने हेतु विभिन्न स्तर के मार्ग प्रस्तावित किये गये है। परिसंचरण हेतु कुल 631.00 हैक्टर का क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कुल विकसित क्षेत्र का 13.10 प्रतिशत है तथा नगरीयकरण योग्य क्षत्र का 12.97 प्रतिशत है।

5.7(1) प्रस्तावित यातायात संरचना :

वर्तमान में उपयुक्त परिसंचरण संरचना के अभाव में प्रादेशिक व स्थानीय यातायात मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं उसके बाह्यय मार्ग से जाता है। जोधपुर/पाली को जाने वाला यातायात राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं जालिया रोड़ होकर जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग–8 शहर के मध्य से भीड–भाड़ वाले क्षेत्र से गुजरता है। इसके बाह्यय मार्ग तक भी शहर का विस्तार हो गया है तथा इससे रीजनलं व स्थानीय यातायात का संचालन होता है जिसमें बाधा उत्पन्न होती है। अतः प्रस्तावित परिसंचरण संरचना के द्वारा शहर में सुव्यवस्थित व सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से

प्रादेशिक यातायात के सुगम संचालन के लिये बाह्यय मार्ग (रिंग रोड़) प्रस्तावित कर राष्ट्रीय राजमार्ग–8 व 14 के बीच उचित सुगम सम्पर्क प्रस्तावित किया गया है तथा राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से 14 को जोडने के लिए नया बाई पास शहर के दक्षिण मे बनाया जा रहा है। शहर के नगरीयकृत क्षेत्र व प्रस्तावित नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में आवागमन की दृष्टि से सड़कों की क्रमवार व्यवस्था सड़कों को चौड़ा करना व सुधार करना, पार्किग सुविधा विकसित करना, चौराहों का सुधार व निर्माण तथा रेलवे लाइन व नदी/बॉधो के ऊपर–पुल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उपयुक्त स्थलों पर बस स्टेण्ड व ट्रक टर्मिनस/ट्रांसपोर्ट नगर आदि प्रस्तावित किये गये हैं। योजना का विवरण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या –25

परिसंचरण – ब्यावर – 2031

(I)	**विद्यमानः स्थित**	**क्षेत्रफल (हैक्टर)**
	रेल लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग–8 एवं उसका बाह्य मार्ग, मुख्य जिला सड़क–84 एंव अन्य सड़के, बस स्टेंन्ड आदि।	410.00
(II)	**प्रस्तावित : स्थित संख्या**	**क्षेत्रफल (हैक्टर)**
	(i) **बस स्टेण्ड :** 2	
	(i) पाली/जोधपुर मार्ग के दक्षिण में	2.50
	(ii) अजमेर रोड़ पर सीमेन्ट फैक्ट्री को जाने वाली रेलवे लाइन के दक्षिण में तथा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के पूर्व में	2.10
	कुल	**4.60**
	(ii) **ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनस :** 1	
	(i) अजमेर रोड़ के पश्चिम में तथा रीको क्षेत्र के उत्तर में	14.50
	(ii) अजमेर रोड़ पर ठिकराना गुजरान ग्राम में खरवा औद्योगिक क्षेत्र के पास	31.58
	कुल	**46.08**
	(iv) **अन्य प्रस्तावित मार्ग : अनेक**	**170.32**
	योग	**221.00**
	कुल योग (विद्यमान + प्रस्तावित)	**631.00**

रिंग रोड़ व आन्तरिक सड़के :

5.7(1) (अ) बाह्य रिंग रोड़ (Outer Ring Road) :

ब्यावर में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग–8 का बाईपास शहर के विस्तार के साथ आबादी के मध्य में आ जायेगा। अतः यह आवश्यक है की ब्यावर के लिये एक रिंग रोड़ प्रस्तावित की जाये, यह उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से आरम्भ होकर पूर्व में वर्तमान श्री सीमेंट रेलवे लाइन के साथ–साथ मुख्य जिला सड़क–57 को पार करते हुए दक्षिण में वापस उदयपुर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग–8 से ग्राम केसरपुरा परसा पर मिल जायेगी तथा वहां से पश्चिम में जोधपुर/पाली को जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग–14 को नये बाई पास से जोडा गया है व ग्राम रामसर बलायान के पास से उत्तर में अजमेर को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग–8 पर प्रस्तावित रिंग रोड से मिल जायेगी। इस प्रकार से यह ब्यावर के चारों ओर एक रिंग रोड़ रहेगी। उक्त प्रस्तावित रिंग रोड़ परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में प्रस्तावित की गई है। इसके दोनों तरफ 30–30 मीटर की एक वृक्षारोपण पट्टी प्रस्तावित की गई है। इसका मार्गधिकार 60 मीटर का रहेगा।

5.7(1) (ब) भीतरी रिगं रोड़ (Inner Ring Road) :

एक भीतरी रिंग रोड़ पश्चिम में जोधपुर/पाली को जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग–14 पर स्थित फैक्ट्री के पास से उपरोक्त वर्णित रिंग रोड़ के सामानान्तर होती हुई, उत्तर में मकरेड़ा ग्राम के पास प्रस्तावित रिंग रोड़ से मिल जायेगी। इसका कुछ भाग मेंडीया (नया नगर) की आबादी क्षेत्र से गुजरता है। भीतरी रोड़ का मार्गाधिकार 30 मीटर प्रस्तावित है।

5.7(1) (स) आन्तरिक सड़के :

एक आन्तरिक सड़क, 24 मीटर के मार्गाधिकार की पूर्व में वर्तमान राष्ट्रीय राजमार्ग मार्ग–8 के बाईपास से सुभाष उद्यान के समीप तक प्रस्तावित की गई है। इनके अतिरिक्त शहर के अन्य स्थलों को प्रस्तावित नये विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों को जोड़ने हेतु 18 मीटर मार्गाधिकार की अन्य सड़के प्रस्तावित की गई हैं।

5.7(2) आन्तरिक सड़के व मार्गाधिकार :

शहर में यातायात सुगम व व्यवस्थित करने के उद्देश्य से क्रमशः 60 मीटर, 30 मीटर, 24 मीटर एवं 18 मीटर के मार्गाधिकार की सड़के प्रस्तावित की गई है। विभिन्न श्रेणी के मार्गों का प्रस्तावित मार्गाधिकार तालिका संख्या 26 में दर्शाया गया है :–

तालिका संख्या–26

सड़कों का मार्गाधिकार – ब्यावर – 2031

क्रम संख्या	सड़क का प्रकार	मार्गाधिकार	
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इसका बाईपास व राज्य राजमार्ग	60 मीटर	200 फीट
2.	प्रमुख सड़कें एवं बाह्य मार्ग	30 मीटर	100 फीट
3.	उप–प्रमुख सड़कें	24 मीटर	80 फीट
4.	मुख्य सड़कें	18 मीटर	60 फीट
5.	अन्य सड़कें	18 मीटर से कम	60 फीट से कम

5.7(3) सड़कों को चौड़ा करना/सुधार करना एवं पार्किंग सुविधायें :

भविष्य हेतु जो भी सड़के प्रस्तावित की गई है, उनका मार्गाधिकार निर्धारित मानदण्ड़ों के अनुरूप होगा। वर्तमान में उपलब्ध मार्गाधिकार को कम नहीं किया जायेगा। नगर के मुख्य बाजारों में से सड़कों पर किये गये कब्जों एवं अवरोधों को हटाकर सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई जावेगी। शहर के घने आबादी क्षेत्रों में कतिपय बाधाओं के कारण जहाँ सड़कें निर्धारित मानकों के अनुसार चौड़ी किया जाना संभव नहीं है, का पूर्व स्वीकृतियों के अनुसार एक श्रेणी निम्न स्तर तक का मार्गाधिकार रखा जा सकेगा। आवश्यकतानुसार निर्दिष्ट स्थलों पर नियोजित व व्यवस्थित पार्किंग सुविधायें विकसित की जानी है, ताकि यातायात में व्यवधान उत्पन्न नहीं हो। ब्यावर में वर्तमान विभिन्न चौराहें मुख्यतः राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 अन्य मुख्य मार्गों से बनने वाले तिराहों/चौराहों का सुधार कर विकास किया जाना प्रस्तावित है।

5.7(4) बस स्टेण्ड :

वर्तमान में यहां बस स्टेण्ड शहर के मध्य में SDO ऑफिस के सामने स्थित है। यह बस स्टेण्ड घनी आबादी के मध्य में आ गया है तथा केवल एक बस अड्डा होने से भी यहां बसों का अत्याधिक दबाव रहता है। अतः भविष्य में ब्यावर हेतु दो बस अड्डे प्रस्तावित किये गये है जिनका कुल क्षेत्रफल 4.60 हैक्टर है।

(i) पाली/जोधपुर मार्ग के दक्षिण में

(ii) अजमेर रोड़ पर सीमेन्ट फैक्ट्री को जाने वाली रेलवे लाइन के दक्षिण में तथा प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर के पूर्व में

5.7(5) ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनस :

वर्तमान में ब्यावर में ट्रांसपोर्ट नगर/ट्रक टर्मिनस नहीं है। अतः भविष्य की आवश्यकताओं के दृष्टिगत यहां दो ट्रक टर्मिनस प्रस्तावित किया गया हैं। इस का कुल क्षेत्रफल 46.08 हैक्टर है।

(i) अजमेर रोड़ के पश्चिम में तथा रीको क्षेत्र के उत्तर मे

(ii) अजमेर रोड़ पर ठिकराना गुजरान ग्राम में खरवा औद्योगिक क्षेत्र के पास

5.7(6) रेलवे सेवा :

दिल्ली–मुम्बई ब्रोडगेज रेलवे लाइन पर, ब्यावर एक महत्वपूर्ण स्टेशन है। भविष्य में यातायात व्यवस्था को सुधारने हेतु विभिन्न सड़के प्रस्तावित की गई है। रेलवे लाइन पर पुल (ROB) प्रस्तावित है। इनका विवरण निम्नानुसार हैः–

(i) रिंग रोड़ जो पश्चिम में 60 मीटर की प्रस्तावित है पर रतनपुरा सरदारा ग्राम के पास रेलवे लाइन को क्रोस करती है, वहां एक रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है।

(ii) प्रस्तावित रिंग रोड़ उत्तर में रेलवे लाइन को क्रोस करती है, वहां एक रेलवे ओवर ब्रिज प्रस्तावित है। जो उत्तर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –8 पर मिलती है।

(iii) एक रेलवे ओवर ब्रिज छावनी प्रेड के फाटक पर प्रस्तावित किया गया हैं क्योंकि यह आबादी के मध्य में है तथा भविष्य में यहां यातायात ओर भी बढ़ेगा।

5.8 हाईवे कॉरिडोर विकास क्षेत्र

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –8 के वर्तमान बाईपास पर स्थित ग्राम गढ़ी थोरियान के दक्षिण में बलाड़ ग्राम को जाने वाली सड़क से नीचे दक्षिण की और ग्राम सिंघाड़िया को जाने वाली सड़क तक 500 मीटर की गहराई में राजमार्ग गलियारा विकास क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है जो कि उपरोक्त 4864.00 हैक्टर में सम्मिलित है। इस गलियारे में जेल, स्टेडियम व वर्तमान में जो आवासीय क्षेत्र विकसित है को यथावत रखते हुए निम्न उपयोग निर्धारित मानदंडो के अनुरूप आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जा सकेगे।

1. आई टी पार्क / बायोटेक पार्क
2. सेज/फिल्म सिटी/खेलकूद सिटी/स्वास्थ सिटी/आमोद–प्रमोद सिटी
3. एकीकृत आवासीय योजना
4. होटल/रिसोर्ट
5. मोटेल/होलीड़े कुटीर रिसोर्ट
6. मनोरंजन पार्क
7. अस्पताल
8. शैक्षिण संस्था
9. सार्वजनिक उपयोग
10. पेट्रोल पम्प/सर्विस स्टेशन
11. सम्मेलन केंन्द्र
12. धार्मिक भवन
13. कुटीर उद्योग
14. केन्द्रीय व राजकीय कार्यालय
15. बस स्टेण्ड़/ट्रक टर्मिनल

उपरोक्त उपयोगो को प्रस्तावित करते समय उनके क्षेत्रफल को योजना क्षेत्र के अनुसार रखा जा सकेगा। नगरीयकरण योग्य क्षेत्र में बाहर ब्यावर मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र की सीमा अधिसूचित तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –8 (अजमेर व उदयपुर को जाने वाली सड़क पर) व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या –14 (पाली/जोधपुर को जाने वाली सड़क पर) पर दोंनो तरफ 500 मीटर गहराई तक उपरोक्त उपयोग आवश्यकतानुसार प्रस्तावित किये जा सकते है।

5.9 परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र :

नगर की परिधि पर अवांछनीय विकास पर नियंत्रण के उद्देश्य से वर्ष 2031 तक के नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के चारों ओर परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में स्थित ग्रामीण बस्तियों का विकास एवं विस्तार आवश्यकतानुसार योजना तैयार कर सक्षम स्तर पर अनुमोदन के उपरान्त किया जा सकेगा। परिधि नियंत्रण पट्टी क्षेत्र में ग्रामीण आबादी विस्तार, कृषि आधारित उद्योग, क्रेशर, ईटभट्टें, दुग्ध शालायें, फलोद्यान, पौधशाला, मुर्गीपालन, फार्म हाउस, रिसोर्टस्, मोटल्स, वाटर पार्क, पेट्रोल पप्प इत्यादि अनुज्ञेय होंगे।

5.10 पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण एवं जल संरक्षण :

पर्यावरण प्रदूषण एक व्यापक समस्या है। यह मानव जाति के लिये एक संवेदनशील मुद्दा है। पर्यावरण प्रदूषण से ओजोन परत कमजोर हो गई है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग अर्थात् धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है।

प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन यथा वृक्षों की कटाई, अत्यधिक भू–जल दोहन, अनियंत्रित खनन आदि से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या विकराल रूप धारण करती जा रही है और भीषण गर्मी, अकाल बाढ़ आदि प्राकृतिक प्रकोप बढ़ रहे हैं।

वृक्ष, प्राण वायु के भण्ड़ार हैं। अतएव पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–14 व राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–8 तथा बाह्य रिंग रोड़ (Outer Ring Road) के सहारे–सहारे, नगरीयकरण योग्य क्षेत्र के बाहर दोनो ओर 30 मीटर चौड़ी वृक्षारोपण पट्टी रखे जाने का प्रावधान किया गया है। राजकीय कार्यालयों, विद्यालयों, चिकित्सालयों व न्यायालय परिसरों में, औद्योगिक क्षेत्र, श्मशान, गोचर, वन भूमि, आदि

क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है। पर्यावरण संरक्षण के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए संयुक्त प्रयासों और प्रत्येक नागरिक को इसमें सहयोग एवं हिस्सेदारी या सह–भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

पानी के स्त्रोत सीमित हैं। भूजल के अनियंत्रित दोहन से भूजल स्तर निरन्तर गिरता जा रहा है बढ़ती जनसंख्या एवं शहरीकरण के कारण शहरों में पानी की समस्या निरन्तर गहराती जा रही है। प्राचीन तालाबों, कुंड़ों, कुओं आदि जल स्त्रोतों का संरक्षण, वर्षा जल पुनःभरण एवं पानी की रिसाईकिलिंग से ही इस समस्या का समाधान हो सकता है। ब्यावर में इस प्रकार के जो स्थल हैं, उनका संरक्षण किया जाकर इनके पानी को प्रदूषित होने से बचाना आवश्यक है। सभी सार्वजनिक–अर्द्धसार्वजनिक भवनों, बड़े व्यावसायिक व आवासीय परिसरों में वर्षा जल पुनः भरण से सम्बन्धित प्रावधान सुनिश्चित किया जाना, गंदे पानी को वैज्ञानिक तकनीक से शुद्ध कर पुनः चक्रित कर बाग–बगीचों हेतु उपयोग में लिया जाना चाहिये। उपरोक्त हेतु स्थानीय स्तर पर विशेष रूप से समुचित प्रावधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

6

मास्टर प्लान का क्रियान्वयन

ब्यावर शहर के मास्टर प्लान के सफल क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक है कि इसको कार्य रूप में परिणित किया जाये। सम्बन्धित विभाग जो कि इसके क्रियान्वयन से जुड़े हुए हैं, मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरूप निरन्तर कार्यशील रहते हुए समयबद्ध एवं चरणबद्ध तरीके से कस्बे का विकास करें एवं यह भी आवश्यक है कि विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित रखते हुए विकास कार्यों में भागीदारी निभावें। विभागों की सहभागिता के साथ–साथ वित्तीय संसाधनों का प्रबन्धन, नागरिकों की सहभागिता, कानूनी प्रावधानों को लागू करना व आवश्यकतानुरुप तकनीकि मार्गदर्शन आदि घटक मास्टर प्लान प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूल आधार है।

6.1 प्रस्तावित आधार :

मास्टर प्लान के लागू होने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित मास्टर प्लान की एक प्रति नगर परिषद् ब्यावर को भेजी जायेगी। इस प्रकार नगर परिषद्, उक्त अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रति प्राप्त होने के पश्चात् कम से कम दो स्थानीय समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना प्रसारित करेगी। ब्यावर के नगरीय क्षेत्र के विकास कार्य उक्त मास्टर प्लान के अनुसार ही किये जायेंगे।

अनुमोदित मास्टर प्लान की प्रतियां नगर के प्रमुख स्थलों यथा सूचना केन्द्र, उपखण्ड़ अधिकारी कार्यालय, नगर परिषद् ब्यावर में आम जनता के अवलोकनार्थ उपलब्ध रहेगी। आम जनता उक्त मास्टर प्लान की प्रति मय मानचित्रों के कार्यालय नगरपालिका ब्यावर से निर्धारित मूल्य पर क्रय कर सकेगी।

नगरपरिषद् ब्यावर मास्टर प्लान के प्रस्तावों के अनुरुप सफल क्रियान्वयन हेतु नगर नियोजन विभाग के सहयोग से विस्तृत प्लान तैयार करेगी। जलापूर्ति, जल–मल

निकास, ठोस कचरा प्रबन्धन तथा शहर यातायात प्रबन्ध एवं सड़क विकास योजनाएं सम्बन्धित विभागों द्वारा तैयार की जानी प्रस्तावित हैं।

नगरपरिषद् मास्टर प्लान के प्रावधानों के अनुसार नगर नियोजन विभाग के परामर्श से वार्षिक एवं पंचवर्षीय परियोजनाऐं तैयार कर क्रियान्वयन की कार्यवाही करेगी।

मास्टर प्लान क्रियान्वयन का दायित्व नगरपरिषद् ब्यावर का रहेगा। जबकि क्रियान्वयन निगरानी हेतु एक समिति का गठन किया जाना प्रस्तावित है।

6.2 जन सहभागिता एवं जन सहयोग :

नगर का विकास अन्ततः लोगों की आशाओं एवं प्रेरणाओं पर निर्भर करता है। मास्टर प्लान में निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वहां की जनता का पूर्ण सक्रिय सहयोग आवश्यक है। नागरिक जागरुकता ही नगर को सक्षम एवं स्वस्थ वातावरण प्रदान कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि कस्बे की जनता मास्टर प्लान में प्रस्तावित कार्यक्रमों को लागू करने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें।

6.3 भू–उपयोग एवं भूमि अवाप्ति :

ब्यावर के मास्टर प्लान में प्रस्तावित भू–उपयोगों का निर्धारण सरकारी भूमि की उपलब्धता, खाली एवं विकास योग्य भूमि इत्यादि पहलुओं को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है।

मास्टर प्लान बनाते समय पूर्व में जारी की गई स्वीकृति/अनुमोदन को नगरीय क्षेत्र के लिए तैयार की गई भू–उपयोग योजना–2031 में समायोजित किए जाने की पूर्ण प्रयास किया है। सहवन से सक्षम अधिकारी द्वारा पूर्व में जारी की गई किसी स्वीकृति यथा 90–बी के आदेश, आवंटन, भूमि रूपांतरण व नियमन, भू–उपयोग परिवर्तन, अनुमोदित योजना भवन निर्माण स्वीकृति आदि का समायोजन नहीं पाया हो तो उन्हें समायोजित माना जावेगा।

मानचित्र में नदी, नाले, तालाब, भराव क्षेत्र, जलाशय, डूब क्षेत्र, जल प्रवाह क्षेत्र आदि की स्थिति का अंकन प्रचलित पद्धति से करने का प्रयास किया गया है तथापि यदि सहवन से किसी का अंकन नहीं हो पाया हो तो भी उनकी वास्तविक स्थिति राजस्व रिकार्ड़ के अनुसार ही मान्य होगी। इन नदी, नालें, जलाशयों इत्यादि में किसी भी प्रकार का विकास/निर्माण/नियमन/रूपान्तरण नहीं होगा, चाहे उनमें जल भरा हो या वे सूख गये हो। क्रियान्वयन से पूर्व उक्त कार्यवाही स्थानीय निकाय के प्राधिकृत अधिकारी के स्तर पर सुनिश्चित की जावेगी।

प्रस्तावित जन सुविधाओं यथा – शिक्षा, चिकित्सा, सड़के खुले स्थल एवं जन उपयोगी सुविधाओं के विकास बाबत भूमि अवाप्त की जाये, जिससे नगर के सुनियोजित विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

6.4 उपसंहार :

मास्टर प्लान भावी विकास की तस्वीर मात्र ही है, जिसकी सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है, जबकि इसमें प्रस्तावित कार्यक्रमों को कार्य रूप में परिणित किया जाये। इस योजना में आगामी वर्षों की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ठोस कार्यक्रम भी सम्मिलित होते है। ब्यावर का मास्टर प्लान तैयार करते समय एक विवेक सम्मत एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण को आधार बनाया गया है तथा सामान्य स्तर की सुविधाओं और सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान रखा गया है। नगर में नई सुविधाएँ विकसित करके, सार्वजनिक सुविधाओं में अभिवृद्धि करके और ब्यावर को आवास की दृष्टि से स्वास्थ्यवर्धक बनाने की स्पष्ट आकांक्षाओं से प्रेरित होकर ही इस योजना को तैयार किया गया है।

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959

अध्याय द्वितीय

मास्टर प्लान

3– राज्य सरकार की मास्टर प्लान तैयार करने के आदेश करने की शक्ति :

(1) राज्य सरकार आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि राज्य में ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे राज्य सरकार इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे, आदेश में विनिर्दिष्ट किसी नगरीय क्षेत्र के सम्बन्ध में तथा उसका नागरिक सर्वेक्षण किया जायेगा तथा मास्टर प्लान तैयार किया जावेगा।

(2) मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में उपधारा (1) के अधीन नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी को सलाह देने के लिए राज्य सरकार, एक सलाहकार परिषद् का गठन कर सकेगी, जिसमें एक अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य होंगे, जितने राज्य सरकार उचित समझे।

4– मास्टर प्लान की अन्तर्वस्तु :

(क) मास्टर प्लान में वे विभिन्न जोन परिनिश्चत किये जायेंगे, जिनमें उस नगरीय क्षेत्र को, जिसके लिए मास्टर प्लान बनाया गया है, सुधार के प्रयोजनार्थ विभाजित किया जाये तथा वह रीति उपदर्शित की जायेगी, जिसमें प्रत्येक जोन की भूमि का उपयोग किये जाने का प्रस्ताव है, और

(ख) उस ढांचे के जिसमें जोनों की सुधार स्कीमें तैयार की जाये और आधारभूत पैटर्न के रूप में काम में आएगा।

5– अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया :

(1) मास्टर प्लान तैयार करने के लिए नियुक्त अधिकारी या प्राधिकारी शासकीय रूप में कोई मास्टर प्लान तैयार करने से पूर्व मास्टर प्लान का प्रारूप, उसकी एक प्रति निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराकर और इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित प्रारूप में और रीति से एक नोटिस प्रकाशित करके, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति से नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व मास्टर प्लान के प्रारूप के सम्बन्ध में आक्षेप तथा सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे, प्रकाशित करेगा।

(2) ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर मास्टर प्लान से प्रभावित भूमि स्थित है, मास्टर प्लान के सम्बन्ध में अभ्यावेदन करने हेतु उचित अवसर प्रदान करेगा।

(3) ऐसे समस्त आक्षेपों, सुझावों तथा अभ्यावेदनों पर जो प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात् ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी अंतिम रूप से मास्टर प्लान तैयार करेगा।

(4) इस निमित्त बनाये गये नियमों द्वारा किसी मास्टर प्लान के प्रारूप तथा उसकी अन्तर्वस्तु के सम्बन्ध में तथा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया और मास्टर प्लान तैयार करने से सम्बद्ध किसी अन्य विषय के सम्बन्ध में उपलब्ध किये जा सकेंगे।

6– मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

(1) प्रत्येक मास्टर प्लान, तैयार किये जाने के पश्चात् यथासम्भव शीघ्र राज्य सरकार को विहित रीति से अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार, मास्टर प्लान करने के लिये नियुक्ति अधिकारी या प्राधिकारी को, ऐसी जानकारी, जिसकी वह इस धारा के अधीन उसको प्रस्तुत मास्टर प्लान का अनुमोदन करने के प्रयोजनार्थ अपेक्षा करें, प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकेगी।

(3) राज्य सरकार या तो मास्टर प्लान को उपान्तरणों के बिना या ऐसे उपान्तरणों के साथ जो वह आवश्यक समझे, अनुमोदित कर सकेगी या कोई नया मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश देते हुए, उसे अस्वीकार कर सकेगी।

7— मास्टर प्लान का सरकार को प्रस्तुत किया जाना :

राज्य सरकार द्वारा कोई मास्टर प्लान अनुमोदित कर दिये जाने के ठीक पश्चात् राज्य सरकार, यह बतलाते हुए कि मास्टर प्लान का अनुमोदन कर दिया गया है तथा उस स्थान का नाम बतलाते हुए जहां मास्टर प्लान की प्रति का कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, विहित रीति से एक नोटिस प्रकाशित करेगी तथा मास्टर प्लान पूर्वोक्त नोटिस के सर्वप्रथम प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तन में आयेगा।

राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के उद्धरण

THE RAJASTHAN URBAN IMPROVEMENT TRUST (GENERAL) RULES, 1962

[Notification No. F.4(32) LSG/A/59, dated 2.4.1962 published in the Rajasthan Gazette, Part IV-C, Extraordinary dated 8.6.1962, Page 118].

In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 74 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Rajasthan Act 35 of 1959), the State Government hereby makes the following Rules, namely :

RULES

1. **Short title and commencement :** (1) These rules may be called "The Rajasthan Urban Improvement Trust (General) Rules, 1962".

(2) These rules shall come into force upon their publication in the official Gazette.

2. **Definitions - In these rules, unless the subject or context otherwise requires :**

(1) "Act" means, The Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act No. 35 of 1959),

(2) "Trust" means a Trust as constituted under the Act,

(3) "Section" means a Section of the Act,

(4) Words and expression used but not defined shall have the meanings assigned to them in the Act.

3. Manner of Publication of draft Master Plan and the contents thereof under section 5 (i).

1[(1) The draft master plan prepared by the Officer or, the Authority appointed under section 3 of the Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, shall be published by him by making a copy thereof available for inspection at the office of the Trust concerned and publishing a notice in the form "A" in the official Gazette and in at least two popular daily newspapers having circulation in the area inviting suggestions and objections from person with respect of the Draft Master Plan

within a period of 30 days from the date of the publication of the said notice. If the officer or authority appointed under section 3 of the said Act is satisfied that response to the draft Master Plan has been inadequate, the period may be extended further for a maximum period of 30 days for enabling more persons to file objection/suggestions with respect to the draft of the Master Plan.**]2.**

(2) The notice referred to in sub-rule (i) together with a copy of the Draft Master Plan shall be sent by Officer or the authority to each of the Local Body operating in the area included in the Master Plan.

(3) The Draft Master Plan shall ordinarily consist of the following maps, plans and documents, namely :

(a) Town Map showing General Layout of the roads and streets in the town.

(b) Base Map showing the Generalized existing land use pattern, such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.

(c) Draft Master Plan showing broadly the proposed Land use pattern in the Urban area such as residential, commercial, industrial, public and semi-public uses etc.

(d) Written analysis and written statement to support the proposals.

(e) Any other maps, plans or matter which the officer or the authority deem fit or as the State Govemment may direct the officer or the authority in this regard.

4. Approval of Master Plan by the State Government under section 6 :

3[(1) After considering the objection, suggestions and representations which may be received by the Officer or the authority appointed under Section 3 to prepare the Master Plan, the Officer or the Authority shall in consultation with the Advisory Council under Section 3(2) of the Act finalise the Master Plan and submit the same**]4** if constituted to the State Government for approval.

(2) When the Master Plan has been approved by the State Government it shall publish in the Official Gazette, a notice in Form 'B' stating that the Master Plan has been approved and a copy thereof would be available in the office of the

Trust/Municipality concerned which may be inspected during office hours on any working day."

---

1. Substituted by Clause 2 of Notification No. F.3(123)TP/36, dated 24.2.1970 vide C.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin, Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.

2. Amended & Added vide Noti. No. F.7(19) TP/11/76 dated 21.9.1979 R.G. Pt. IV-C (i) dated 27.9.1979, page 339.

3. Substituted by Clause 3 of Notification No. F.3(23) TP/63, dated 24.2.1970 vide G.S.R. 96 pub. in Raj. Gaz. Extra-ordin, Part IV-C, dated 24.2.1970 at page 329-331.

4. Substituted vide No. F.9(101) UDH/11/83, dated 27.10.1983 pub. in Raj. Gaz. 4(Ga) (i) dated 16.2.84 pages 829.

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(35)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक : 6/07/2011

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, (राजस्थान अधिनियम संख्या 35 सन् 1959) की धारा 3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरकार एतद् द्वारा अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(पूर्व), राजस्थान, जयपुर, को ब्यावर के नगरीय क्षेत्र जिसमें निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित किए जाते हैं, का सिविक सर्वेक्षण करने एवं क्षितिज वर्ष 2031 तक के लिए मास्टर प्लान बनाने हेतु नियुक्त करती है :–

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)	राजस्व ग्राम का नाम (अग्रेजी में)
1.	बाड़िया जग्गा	Badiya Jagga
2.	बाड़िया श्यामा	Badiya Shyama
3.	बलाड़	Balar
4.	बनेवड़ी	Banewari
5.	ब्यावरखास	BeawarKhas
6.	भवानी खेड़ा(सरमालिया)	Bhawani Kheda(Sarmaliya)
7.	भोजपुरा	Bhojpura
8.	छावनी प्रेड़	Chawani Pred
9.	दौलतपुरा बलाईयान	Dalutpura Balaiyan
10.	दौलतगढ़ सिंगा	Dalutpura Balaiyan
11.	देलवाड़ा	Delwara
12.	डूंगरखेड़ा	Dungarkhera
13.	फतहपुर प्रथम	Fatehpur First
14.	फतहपुरिया दोयम	Fatehpuriya Second
15.	गणेशपुरा	Ganeshpura
16.	गढी थोरियान	Gadhi Thoriyan
17.	गोविन्दपुरा	Govindpura
18.	जालिया प्रथम	Jaliya prat
19.	कालियावास	Kaliyawas
20.	केसरपुरा (परसा)	Kesarpura (Parsa)

21.	खेजड़ला	Khejdela
22.	कुशलपुरा (बलाड़)	Kushalpura (Balar)
23.	लसाड़िंया	Lasadiya
24.	लसानी प्रथम	Lasani First
25.	मकरेड़ा	Makrera
26.	मालपुरा (कालियावास)	Malpura (Kaliyawas)
27.	मांडावास	Mandawas
28.	मेड़िया (नया नगर)	Mediya(Naya Nagar)
29.	नरबदखेड़ा	Narbadkhera
30.	नरसिंगपुरा	Narsinghpura
31.	नयानगर	Nayanagar
32.	नून्द्री मालदेव	Noondri Maldev
33.	नुन्द्री मेन्द्रातान	Nundri Mendratan
34.	रामगढ़ झूंठा	Ramgarh Jhoontha
35.	रामपुरा गुन्दो का बाला	Rampura Gundo ka Bala
36.	रामपुरा मेवातियान	Rampura Mewatiyan
37.	रामसर बलाईयान	Ramsar Balaiyan
38.	रतनपुरा सरदारा	Ratanpura Sardara
39.	रुपाहेली	Roopaheli
40.	सरमालिया	Sarmaliya
41.	सेदरिया	Sedriya
42.	सेमला	Semla
43.	सेसपुरा	Sespura
44.	शाहपुरा बिचड़ली	Shahpura Bicharli
45.	शिवनाथपुरा	Shivnathpura
46.	शोभापुरा	Shobhapura
47.	सिंधाड़िया	Singhariya
48.	सोवनिया	Sowaniya
49.	ठिकराना गुजरान	Thikrana Gujran
50.	ठीकराना मेन्द्रातान	Theekrana Mendratan

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/
(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव

परिशिष्ट–3

राजस्थान सरकार

नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.10(35)नविवि/3/2011 दिनांक : 8–8–2011

संशोधित अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, की धारा 3 की उप धारा (1) के अन्तर्गत विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06 जुलाई, 2011 द्वारा ब्यावर नगर के मास्टर प्लान–2031 हेतु नगरीय क्षेत्र में अधिसूचित राजस्व ग्रामों में क्र.सं. 10 एवं 18 पर अंकित राजस्व ग्रामों का अंग्रेजी में नाम निम्नानुसार संशोधित करते हुए पढा जावे :–

क्र.सं.	**राजस्व ग्राम का नाम (हिन्दी में)**	**राजस्व ग्राम का नाम (अग्रेजी में)**
10.	दौलतगढ़ सिंगा	Daulatgarh Singha
18.	जालिया प्रथम	Jaliya pratham

राज्यपाल की आज्ञा से,

ह/
(पुरुषोत्तम बियाणी)
शासन उप सचिव–प्रथम

परिशिष्ट–4

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक टीपीआर/1121/MP/OS/AJZ/ब्यावर दिनांक 21.12.2012

अधिसूचना

विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18.10.2012 के अधिक्रमण में सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्थान नगर सुधार अधिनियम–1959 की धारा 5 की उपधारा (1) एवं राजस्थान नगर सुधार न्यास (साधारण) नियम 1962 के नियम 3 के अर्न्तगत ब्यावर (जिला–अजमेर) के नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान 2031 का प्रारूप तैयार कर जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्रस्तुत करने हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। इस प्रारूप मास्टर प्लान के नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित राजस्व ग्राम सम्मिलित है :–

राजस्व ग्राम का नाम		
क्र.सं.	**हिन्दी**	**ENGLISH**
1	Badiya Jagga	बाडिया जग्गा
2	Badiya Shayama	बाडिया श्यामा
3	Balar	बलाड
4	Banewari	बनेवडी
5	Beawarkhas	ब्यावरखास
6	Bhawani Khede (Sarmaliya)	भवानी खेडा (सरमालिया)
7	Bhojpura	भोजपुरा
8	Chawani Pred	छावनी प्रेड
9	Daulatpura Balaiyan	दौलतपुरा बलाईयान
10	Daulatgarh Singha	दौलतगढ़ सिंगा
11	Delwara	देलवाडा
12	Dungarkhera	डूंगरखेडा
13	Fatehpur First	फतेहपुर प्रथम
14	Fatehpur Second	फतेहपुर दोयम
15	Ganeshpura	गणेशपुरा
16	Gadhi Thoriyan	गढ़ी थोरियान
17	Govindpura	गोविन्दपुरा
18	Jaliya Pratham	जालिया प्रथम
19	Kaliyawas	कालियावास
20	Kesarpura (Parsa)	केसरपुरा (परसा)
21	Khejdela	खेजडला
22	Kushalpura (Balar)	कुशलपुरा (बलाड)
23	Lasadiya	लसाडिया

24	Lasani First	लसानी प्रथम
25	Makrera	मकरेडा
26	Malpura (Kaliyawas)	मालपुरा (कालियावास)
27	Mandawas	मांडावास
28	Mediya (Naya Nagar)	मेडिया (नया नगर)
29	Narbadkhera	नरबदखेडा
30	Narsinghpura	नरसिंगपुरा
31	Nayanagar	नयानगर
32	Noondri Maldev	नून्द्री मालदेव
33	Noondri Mendratan	नून्द्री मेन्द्रातान
34	Ramgarh jhoonta	रामगढ़ झूंठा
35	Rampura Gondo ka Bala	रामपुरा गुन्दो का बाला
36	Rampura Mewatiyan	रामपुरा मेवातियान
37	Ramsar Balaiyan	रामसर बलाईयान
38	Ratanpura Sardara	रतनपुरा सरदारा
39	Roopaheli	रूपाहेली
40	Sarmaliya	सरमालिया
41	Sedriya	सेदरिया
42	Semla	सेमला
43	Sespura	सेसपुरा
44	Shahpura Bicharli	शाहपुरा बिचडली
45	Shivnathpura	शिवनाथपुरा
46	Shobhapura	शोभापुरा
47	Singhariya	सिंघाडिया
48	Sowaniya	सोवनिया
49	Thikrana Gujran	ठीकराना गुजरान
50	Theekrana Mendratan	ठीकराना मेन्द्रातान

ब्यावर मास्टर प्लान के इस प्रारूप के सम्बन्ध में राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस की समयावधि में कोई भी व्यक्ति अपनी आपत्तियां एवं सुझाव वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, दीपक नगर, जयपुर रोड़, अजमेर–305006, आयुक्त, नगर परिषद, ब्यावर (जिला अजमेर) अथवा मुख्य नगर नियोजक, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, राजस्थान, जयपुर–302004 के कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते है। मास्टर प्लान के प्रारूप को उपरोक्त समयावधि में किसी भी दिन कार्यालय समय में दिनांक 21.12.2012 से 19.01.2013 तक नगर परिषद भवन, ब्यावर (जिला अजमेर) में देखा जा सकता है। मास्टर प्लान के इस प्रारूप से सम्बन्धित पुस्तिका मय मानचित्र, कार्यालय नगर परिषद, ब्यावर (जिला अजमेर) से क्रय की जा सकती है।

ह/

प्रदीप कपूर
अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व),
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट –5

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग,

क्रमांक प.10(54)नविवि/3/2011 जयपुर, दिनांक 23.05.2013

अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1962 के अधीन बनाये गये राजस्थान नगर सुधार (सामान्य) नियम, 1962 के नियम 4 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 7 के अनुसरण के तहत् यह नोटिस दिया जाता है कि राज्य सरकार ने इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 06.07.2011 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 08.08.2011 के द्वारा यथा अधिसूचित "ब्यावर के नगरीय क्षेत्र" के लिए तैयार किये गये मास्टर प्लान–2031 का अनुमोदन कर दिया है।

उक्त मास्टर प्लान 2031 की प्रति का अवलोकन नगर परिषद, ब्यावर, जिला अजमेर के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में किया जा सकता है।

राज्यपाल की आज्ञा से

ह0/–
(एन. के. गुप्ता)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को मय सी.डी. भेजकर लेख है कि अधिसूचना का प्रकाशन राजपत्र के असधाराण अंक में करवाकर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
2. प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व), राजस्थान, जयपुर।
5. जिला कलक्टर, अजमेर।
6. वरिष्ठ नगर नियोजक, अजमेर जोन, अजमेर।
7. आयुक्त नगर परिषद, ब्यावर, जिला अजमेर।
8. रक्षित पत्रावली।

(प्रदीप कपूर)
वरिष्ठ नगर नियोजक